CENTRAL ADMINISTRATIVE ANNEXURE A
TRIBUNAL, LUCKNOW BENCH LUCKNOW.

INDEX - SHEET

CAUSE TITLE CA 226/90 (L)

NAME OF PARTIES .. Vishwa NATH Singh APPLICANT

VERSUS

U.O.I. (Postal) RESPONDENTS

S.l. No.	Description of documents	Page
File A		
(1)	Checklists	A1 - A2
2.	Order sheets	A3 - A5
3.	Judgements 18-9-92	A6 - A9
4.	Petition	A10 - A22
5.	Annexure	A23 - A34
6.	MP	A35
7.	CA	A36 - A44
8.	RA	A45 - A48
9.	Power	A49
10.	Annexure	A50 - A72
	~~File B~~	~~B73 - B136~~

Weeded out / destroyed

SO (J)

20/7/90

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
CIRCUIT BENCH, LUCKNOW

for 20/7

Registration No. 236 of 19~~89~~ 90 (L)

APPLICANT(S) Shri Vishwanath Singh

RESPONDENT(S) U. O. I. (Postal)

Particulars to be examined	Endorsement as to result of examination
1. Is the appeal competent ?	yes
2. a) Is the application in the prescribed form ?	
b) Is the application in paper book form ?	yes
c) Have six complete sets of the application been fixed ?	yes
3. a) Is the appeal in time ?	yes
b) If not, by how many days it is beyond time?	
c) Has sufficient case for not making the application in time, been filed?	yes
4. Has the document of authorisation/ Vakalatnama been filed ?	No
5. Is the application accompanied by B.D./Postal Order for Rs.50/-	yes
6. Has the certified copy/copies of the order(s) against which the application is made been filed?	By Advocate
7. a) Have the copies of the documents/ relied upon by the applicant and mentioned in the application, been filed ?	yes
b) Have the documents referred to in (a) above duly attested by a Gazetted Officer and numbered accordingly ?	By Advocate
c) Are the documents referred to in (a) above neatly typed in double sapce ?	yes
8. Has the index of documents been filed and pageing done properly ?	yes
9. Have the chronological details of representation made and the out come of such representation been indicated in the application?	yes
10. Is the matter raised in the application pending before any court of Law or any other Bench of Tribunal?	NO

(A2)

Particulars to be Examined	Endorsement as to result of examination
11. Are the application/duplicate copy/spare copies signed ?	yes
12. Are extra copies of the application with Annexures filed ?	yes
i) Identical with the Original ?	
ii) Defective ?	x
iii) Wanting in Annexures Nos _______ pages Nos _______ ?	
13. Have the file size envelopes bearing full addresses of the respondents been filed ?	N.A.
14. Are the given address the registered address ?	yes
15. Do the names of the parties stated in the copies tally with those indicated in the application ?	yes
16. Are the translations certified to be true or supported by an Affidavit affirming that they are true ?	yes
17. Are the facts of the case mentioned in item no. 6 of the application ?	yes
a) Concise ?	
b) Under distinct heads ?	
c) Numbered consecutively ?	
d) Typed in double space on one side of the paper ?	yes
18. Have the particulars for interim order prayed for indicated with reasons ?	yes
19. Whether all the remedies have been exhausted.	yes

dinesh/

[signature] 20/7

D/170(i) (A3)

7.8.90. No sitting. Adj. to 29/8/90 [signature]

Vakalatnama filed on 23.8.90 [illegible] on behalf of the respondents
J. [signature] 23/8/90

29.8.90

Hon. D.K. Agrawal, J.M.
Hon. K. Obayya, A.M

Heard, Admit, C.A. within 8 weeks. R.A. within two weeks thereafter. Listed for hearing. On 20.11.90.

A.M. J.M.

OR
Dr. D. Chandra takes notices on behalf of o.p. no 1to3 & also filed power. Submitted for admission
[signature] 28/8/90

SB
No CA filed.
S. FH
[signature] 16/11/90
L
5/1L

20.11.90

Hon. Mr Justice K. Nath VC
Hon. Mr M. M. Singh AM.

Due to sad demise of Sri B.K Srivastava case is Adjourned to 12.2.91

[signature] AM

[signature] VC

[signature]

12.12.90

D.R.

Both the parties are present today. C.A. has not filed by O.P. Case is listed before me on 24.1.91 for filing C.A.
[signature]

CA filed
[signature]
7/1/91

31.10.91
D.R.

Counsel for the applicant is present. He desires to file Rejoinder by 29/11/91. O.P. is absent.

29.11.91
D.R.

Counsel for applicant is present. He is ordered to file Rejoinder by 20/2/92.

29/11/91
SO.

20.2.92
D.R.

Both the parties are present. Applicant to file Rejoinder by 19/5/92.

19.5.92
D.R.

Counsel for applicant Shri Hari Om Singh is present and he files Rejoinder today. Hence case is listed for hearing before the Hon. Bench on 9/7/92.

19/5/92
SO.

(15)

OA 226/90

9.7.92 Adjourn to 15.7.92

Part

CP RA have been exchanged
SO
15/7/92

15.7.92

Hon'ble Mr. Justice K.C. Srivastava VC
Hon'ble Mr. K. Obayya AM

Sri S. Ahmad learned Counsel for applicant & Sri D. Chandra learned Counsel for respondents.
Argument heard
Judgment reserved

AM VC

18.9.92

Hon'ble Mr Justice K.C. Srivastava VC
Hon'ble Mr. K. Obayya AM

Judgment pronounced today in the open Court.

AM VC

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL,CIRCUIT BENCH LUCKNOW.

....

Registration O.A. 226 of 1990

Vishwa Nath Singh ... ... Applicant.

Versus

The Union of India
and others ... ... Respondents.

Hon. Mr. Justice U.C. Srivastava,V.C.
Hon'ble Mr. K. Obayya, Member (A)

(By Hon. Mr. K.Obayya, Member (A))

The applicant was appointed as 'Extra Departmental Branch Post Master' (EDBPM in short), of Ambara Branch Post Office, District Kheriin the year 1972. During the year 1988, it was noticed that there were certain irregularities in maintenance of account books and also saving account~~s and also saving accounts~~ for which a show cause notice was given to him on 11.10.1988. The applicant submitted his reply on 17.10.1988 , thereafter a charge-sheet was served on the applicant on 25.10.1988 and disciplinary proceedings were thus set in motion. The applicant denied the charges. The enquiry officer concluded his enquiry and submitted his report on 2.1.1989 thereafter the disciplinary authority levied the punishment of removal from service against the applicant by order dated 28.2.1989. The appeal preferred by the applicant against this punishment order was rejected vide order dated 30.7.1989.

2. The order of the punishing authority as also that of the appellate authority are assailed on the ground that no opportunity was given to the applicant and that

Contd ...2p/-

though the account holders were not examined. The disciplinary authority held that the charges 1,2 & 4 are established and though the enquiry officer held that the case of embezzlement is not made out. The disciplinary authority discarded the findings of the enquiry officer and held that that charge is also proved. The order of the appellate authority suffers from the lacuna of not being the reasoned order.

3. The respondents have opposed the case. According to them, due opportunity was given to the applicant. The applicant inspected the listed documents on 11.1.1989 and that he also stated that he would not produce any document or witness on his behalf and that he has also not nominated his defence assistance and his statement was alsorecorded on 9.2.1989 and he has submitted his brief on 21.2.1989. According to them, the charges levelled against the applicant were found fully established. The appellate order was also well reasoned order and does not suffer from any illegality.

4. We have heard the counsel of the parties and also perused the record. The charges levelled against the applicants were on 4 counts. All the charges related to embezzlement of amounts relating to Saving Bank Accounts and other Accounts . So far as the enquiry is concerned, we do not find thatthere is any irregularity. It would appear that an opportunity was provided to the applicant to defend his case. As a matter of fact, even before the charge-sheet was served upon him,

Contd ...3p/-

There was a show cause notice pointing out the acts of @@ omission and commission on the part of the applicant in the Saving Bank Accounts matters. The counsel for the applicant raised the plea that the disciplinary authority held the charges 3 and 4 proved, though, the enquiry officer held that these charges are not established. In para. 8 of the counter affidavit also, the respondents have admitted that the disciplinary authority did not agree with the findings of the enquiry officer in respect of charges 1,3 & 4. Inspite of this, the disciplinary authority held that these charges are established. It would appear that the disciplinary authority has not recorded any reason for his disagreement. In any way, the applicant was not informed of the reasons of disagreement of the disciplinary authority. If the enquiry officer has held that the certain charges are not established, the disciplinary authority, in case he disagrees with the findings of the enquiry officer, he should have assigned reasons for his disagreement and he should have also issued a show cause notice to the applicant to enable him to file effective representation against the same but the same was not done and an opportunity of hearing was not given to the applicant. This violates the principles of natural justice. In this connection reference ~~has been~~ may be made to the case of Narainji Mishra Vs. State of Orissa, 1969 SLR page 657, Wherein it has been held that when the disciplinary authority did not agree with the findings of the enquiry officer, giving of notice to the charged officer is must and

Contd ...4p/-

without giving him notice and an opportunity of hearing no order can be passed.

5. In these circumstances, we are of the view that the order of the disciplinary authority is liable to be quashed. Accordingly, this application is allowed and the punishment order dated 28.2.1989 as well as the appellate order dated30.7.1989 are quashed. However, this will not preclude to the disciplinary officer from going ahead with the disciplinary proceedings after giving show cause notice and an opportunity of hearing to the applicant. The application is disposed of with the above terms. No order as to costs.

Member(A) Vice-Chairman

Dated: 18 September,1992.

(n.u.)

Central Administrative Tribunal
Circuit Bench, Lucknow
Date of Filing 20/7
Date of Receipt by Post ...
for Deputy Registrar(J) 20/7

(A10)

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL AT ALLAHABAD :

CIRCUIT BENCH: LUCKNOW:

O.A. NO. 226 OF 1990 (L)

Vishwa Nath Singh. .... Applicant

Versus

The Union of India and others. .... Respondants.

I N D E X :

Sl. No.	Particulars :		PAGE NO.
1.	Application.		1 — 11A
2.	Annexure No.I	Order dt.30th July,1989.	12 - 13
3.	Annexure No.II	Order dt.28.2.89 passed by the appointing authority awarding the punishment of putting of the duty.	14 - 23
4.	Power.		23A
5.	Annexure No.III	A correct copy of the notice dated 11.10.1988.	24 - 25
6.	Annexure No.IV	A correct copy of the charge-sheet.	26 - 30
7.	Annexure No.V	A correct copy of the Inquiry Report.	31 - 41
8.	Annexure No.VI	A correct copy of the Memo of Appeal.	42 - 44
9.	Annexure No.VII	A correct copy of the amendment application.	45 - 46

Filed today
Shakeel
20-7-90

Ahmad Adv.
COUNSEL FOR THE APPLICANT
(Shakeel Ahmad Adv)

LUCKNOW :
DATED : JULY 20 ,1990.

noted for 7-8-90
Ahmad Adv
20/7

(A11)

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL AT ALLAHABAD

CIRCUIT BENCH:LUCKNOW.

O.A. NO.226 OF 1990 (L)

Vishwa Nath Singh aged about 43 years S/o Sri Bhagwan Singh resident of Village and Post_Ambara,Distt.Kheri and was employed as Extra Departmental Branch Post Master at Ambara Branch, Post Office, Distt.Kheri.

.... Applicant

Versus

1. The Union of India through Ministry for Postal Department, New Delhi.

2. Director Postal Services, Lucknow Region, Lucknow

3. Superintendent of Post Offices, Lakhimpur, District Kheri.

.... Respondants.

(Contd...2)

DETAILS OF APPLICATION :

I. PARTICULARS OF THE ORDER AGAINST WHICH APPLICATION IS MADE.

The application is against the following orders for Annexure No.I.

(i).	Order No.	-	R.O.L./Staff/A-14/89/3/Lko.
(ii).	Date.	-	30.7.1989.
(iii).	Passed by.	-	Director, Postal Services, Lucknow Region, Lucknow.
(iv).	Subject in brief.	-	Dismissing the appeal of the applicant against the termination order (contained in Annexure No.II) of service of the applicant.

FOR ANNEXURE NO.2

(i).	Order No.	-	F-6/82-83.
(ii).	Date.	-	28.2.1989.
(iii).	Passed by.	-	Superintendent of Post Offices, Kheri.
(iv).	Subject in brief.	-	Terminating the services of the applicant on the report of Inquiry Officer who held an inquiry against the applicant and found guilty of the applicant.

II. JURISDICTION OF THE TRIBUNAL:

The applicant declares that the subject matter of the orders against which he wants redressal is within the jurisdiction of the Tribunal.

III. LIMITATION:

The applicant further declares that the application is within the limitation prescribed in Section 21 of the Administration Tribunal Act,1985.

IV. FACTS OF THE CASE:

(a). That the applicant was appointed as an extra departmental Branch, Post Master of Ambara Branch, Post Office in District Kheri under the provision of Post and Telegraph etc. Departmental Agents (conduct and service) rules, 1965, in the year 1972. The respondant No.3 is the Appointing Authority of the applicant.

(b). That the respondant No.3 by a notice dated 11.10.1988 informed the applicant that there is a proposal to take action against the applicant on the allegation that there are certain irregularities in the maintenance of the official records and irregularities in the accounts books and in Accounts of Accounts Holders in the Post Office thereby causing a financial loss to the Central Government.

A true copy of the notice dated 11.10.1988 is hereby annexed as ANNEXURE NO.III to this application.

(c). That the applicant had made a representation dated 17.10.1988 in reply of the notice dated 11.10.1988 - thereafter a charge-sheet dated

25.10.1988 was served on the petitioner on 27th October, 1988. The main allegations in the chargesheet was that the petitioner while incharge in the Ambara Post-Office had embezzled the amounts from the B.T.D. accounts of the depositers and had made fictitious entries in the pass Books of those persons between the period August, 1972 to April,82. It is alleged that rules 131, 133, 134 and 141 of all the rules are breach and that the petitioner has violated rule rule 17 of the extra, Departmental agents (conduct and service) Rules, 1964,

A correct copy of the charge-sheet is being filed as ANNEXURE NO.IV to this application.

(d). That the petitioner filed a reply to the charge-sheet denying the allegations of the embezzlement in his reply he has submitted that the withdrawi in the various accounts are by the Account holders and there is no embezzlement.

(e). That the Inquiry Officer proceeded with the inquiry recorded the statement of the withesses produced by the Department and by the petitioner. The Inquiry Officer submitted his inquiry report dated 21st February, 1989. The inquiry Officer held that

there is a breach of rules 141 with respect to certain allegations. However it was further held that no embezzlement is proved with respect to the khata No.2705784. With respect to charge-sheet No.2 it was found that the charge is established against the petitioner. The charge No.3 was not established against the petitioner. Similarly charge No.4 was not established against the petitioner.

A correct copy of the Inquiry Report is b being filed as ANNEXURE NO.V to this application.

(f). That on acting upon the inquiry report the appointing authority ordered that the petitioner should be put off from the duty by an order dated 28.2.1989.

(g). That being aggrieved the petitioner filed an appeal before the appellate authority Director of Postal Services, Lucknow Region, Lucknow.

A correct copy of the memo of Appeal is being filed as ANNEXURE NO.VI to this application.

(h). That the petitioner amended the memo of Appeal by an application dated 25th July, 1989.

A correct copy of the amendment application is being filed as ANNEXURE NO.VII to this applicati

(i). That the Director, Postal Services, Lucknow Region, Lucknow did not afford any opportunity of hearing to the petitioner. The Appellate Authority and Inquiry Officer have erred in holding that the charge Nos.1 and 4 are established against the petitioner. The accounts holders of the Accounts mentioned in charges 1 to 2 and 4 had not appeared before the Inquiry Officer to state that they had not withdrawn the amount of their khata. There is no evidence available on the record to establish that the account holders a had not withdrawn the amount and that the petitioner had embezzled the amount. The charge of the embezzlement should have been proved beyond all reasonable doubts. In the absence of the production of the material evidence and the witness the charge of embezzlement is not proved. The Inquiry Officer and the Appellate Authority beared in holding that the charge against the petitioner is made out with respect to charge Nos.1, 2 and 4. The Appellate Authority did not give any reasons to hold the petitioner guilty.

(j). That without assigning any reasons the Appellate Authority erred in confirming the orders passed by the Inquiry Officer and by the appointing authority.

The Appellate Authority has not examined the correctness and validity of the orders passed by the Inquiry Officer and the appointing authorities.

(k). That in the circumstances the Appellate Authority has failed to exercise the jurisdiction vested in him. For the reasons mentioned above the orders passed by the Inquiry Officer, appointing authority and the Appellate Authorities are void and illegal and are liable to be set aside.

(l). That as no charge is established against the petitioner and the petitioner is entitled to reinstate.

V. GROUNDS FOR RELIEF WITH LEGAL PROVISIONS:

The applicant having no other alternative and efficacious remedy, prefer this application on the following grounds :-

(i). Because the respondant No.2 did not afford any opportunity of hearing to the petition.

(ii). Because the Appellate Authority and Inquiry Officer have erred in holding that the charges No.1 and 4 are established against the applicant.

(iii). Because the Accounts Holders of the Accounts mentioned in charges 1, 2 and 4 had not appeared bef

before the Inquiry Officer to state that they had not withdrawn the amount of their accounts.

(iv). Because there is no evidence available on the record to establish that ~~xxx~~ to establish that the Account holders had not withdrawn the amount and ~~xxxxx~~ that the applicant had embezzled the amount.

(v). Because the charge of the embezzlement should have been proved beyond all the reasonable doubts.

(vi). Because in the evidence and the witness the charge of embezzlement is not proved.

(vii). Because the Inquiry Officer and the Appellate Authority erred in holding that the charge against the petitioner is made out with respect to charges Nos.1, 2 and 4.

(viii). Because the Appellate Authority did not give any reasons to hold the ~~xxxxxxxx~~ applicant guilty.

(ix). Because the Appellate Authority without assigning any reasons, erred in confirming the order passed by the Inquiry Officer and the Appointing Authority.

(x). Because the Appellate Authority has not examined the correctness and validity of the orders passed by the Inquiry Officer and the Appointing Authority.

(xi). Because the Appellate Authority, Inquiry Officer and the Appointing Authority have failed to exercise their jurisdiction vested in them.

(xii). Because there is an error apparent on the face of the record.

VI DETAILS OF THE REMEDIES EXHAUSTED :

Against the order of punishment putting of the duty passed against the petitioner the petitior preferred an appeal as provided under rule 17 of the extra Departmental agents (conduct and service) rules which was dismissed by the Appellate Authority by an order dated 30th July, 1989 annexed as ANNEXURE NO.I to this application.

VII MATTERS NOT PREVIOUSLY FILED OR PENDING WITH ANY OTHER COURT.

The applicant declares that the applicant had not filed any suit against the impugned orders in the Civil Court nor had filed any writ petition against the impugned order before the Hon'ble High Court relating to the reliefs claimed in this application. The applicant has not moved any application claiming the relief against the impugned order before any court of law or any other authority or any other Bench or Tribunal nor

any such application, writ petition, or suit is pending before any such authorities or court.

8. VIII RELIEFS SOUGHT:

In the circumstances mentioned above the applicant prays for the following reliefs :-

(a). An order to quesh the orders dated 28.2.1989 passed by the appointing authority awarding the punishment of putting of the duty contained in ANNEXURE NO.II to this applicatio and further to quash the order dated 30th July, 1989 passed by the Appellate Authority dismissing the Appeal contained in ANNEXURE NO.I to this application.

(b). To direct the respondant to pay the salary to the petitioner till the date of reinstatement from the date of the order putting of the duty dated 28th February,1989 and from the date of petitioner was suspended treating the petitione to be in services alongwith all the benefits of allowances and leave etc.

(c). To award the cost of the application to the applicant.

IX. INTERIM ORDER PRAYED:

For pending final decision on the application of the applicant, the applicant seeks the following interim orders :-

(a). The operation of the order dated 30th July, 1989 passed by the Appellate Authority be stayed during the pendency of the Appeal.

(b). The order dated 28th February, 1989 passed by respondant No.2 putting of the duty to the petitioner be stayed during the pendency of the writ petition.

X. Not applicable.

XI. Particulars of the postal order by which the required fee is paid.

(a). Number of the Indian Postal order. 802 414724

(b). Name of the Issuing Post Office. High Court Lucknow Bench

(c). Date of the issue of the Postal Order. 12-2-1990

(d). Post Office at which payable. Allahabad

XII. LIST OF THE ENCLOSURES:

(i). Annexure No. III A true copy of the notice dated 11.10.1988.

(Contd....12)

A22

(ii).	Annexure No.IV	A correct copy of the charge-sheet.
(iii).	Annexure No.V	A correct copy of the Inquiry report.
(iv).	Annexure No.VI	A correct copy of the Memo of Appeal.
(v).	Annexure No.VII	A correct copy of the amendment application.

(signature in Hindi)
APPLICANT

LUCKNOW :
DATED : JULY 20,1990.

VERIFICATION:

I, Vishwa Nath Singh S/o Sri Bhagwan Singh R/o Village Ambara Post Office Ambara, District Kheri do hereby verify that the contents of paras IV a, d, g, h, i, l, VII, X to XII are true to my personal knowledge and the contents of paras I, IV b, c, e, f of the application are believed to be true on the basis of information received and the contents of paras II, III, IV j, k, V, VI, VIII, IX of the application are believed to be true on the basis of the advice received. and that no material facts have been suppressed by the applicant.

(signature in Hindi)
APPLICANT

LUCKNOW :
DATED : JULY 20 ,1990.

Ahmad
Counsel for Applicant

12

बिफोर दी ट्रिबुनल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिबुनल एट इलाहाबाद
सिर किट बैंक लखनऊ ।

विश्वनाथ सिंह ... पिटीशनर

बनाम

यूनियन आफ इण्डिया .... रैस्पान्डैंट

एनेक्जर नम्बर-1

भारतीय डाक विभाग

कार्यालय निदेशक डाक सेवायें, लखनऊ क्षेत्र, लखनऊ 226007

ज्ञापन संख्या आरडीएल/स्टाफ/ए-14/89/3 लखनऊ दिनांक 30-7-89

प्रस्तुत प्रकरण श्री विश्वनाथ सिंह, सेवा निष्कासित अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकपाल अम्बारा खीरी मण्डल की अपील दिनांक 15-5-89 से सम्बन्धित है इसे उन्होंने अधीक्षक डाकघर खीरी मण्डल खीरी के दण्डादेश संख्या एफ-6/82-83 दिनांक 28-2-89 जिसके द्वारा अपीलकर्ता को सेवा से निष्कासन" का दण्ड दियागया है, के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। अपील निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत है ।

2- अपीलकर्ता को अनुशासनिक अधिकारी अधीक्षक, डाकघर, खीरी द्वारा अति0 विभा0 अभिकर्ता (आचरण एवंसेवा नियमावली 1964 के नियम-8 के अन्तर्गत ज्ञापनसंख्याएफ-6/82-83 दिनांक 11-10-88 (ज्ञापन दिनांक 25-10-88 के साथ पठित) द्वाराआरोप पत्रदिया गयाजिसमें कर्मचारी को आरोपित किया गया था कि अपीलकर्ता ने शाखा डाकपाल अम्बारा के रूप में कतिपय बचत बैंक/ टी0डी0 खातों से फर्जी निकासियाँ कर एवम् जमा राशियों को सरकारी अभिलेख में प्रदर्शित न कर शाखा डाकघर नियमावली के नियम-131, 133, 134 एवं 141 के साथ ही आवश्यक सत्यनिष्ठा एवम् कर्तव्य परायणता बनाये न रखकर अतिरिक्त विभागीय अभिकर्ता (आचरण एवम् सेवा) नियमावली 1964 के नियम 17 का उल्लंघन किया । अपीलकर्ता के विरूद्ध प्रत्यक्ष विस्तृत जाँच की गयी तथा जाँच अधिकारी ने अपनी आख्या दिनांक 25-2-89 में अपीलकर्ता के विरूद्ध

विश्वनाथ सिंह

A24

13

आरोपों को सिद्ध निरूपित किया । अनुशासनिक अधिकारी ने जांच निष्कर्षों से सहमत होते हुए अपने आदेश संख्या एफ-6/82-83 दिनांक 28=2-89 द्वारा अपीलकर्ता को "सेवा से निष्कासन" का दण्ड पारित किया जिसके विरुद्ध संदर्भित अपील प्रस्तुत की गयी है ।

3- अपीलकर्ता द्वारा अपील में प्रस्तुत तर्कों की आरोप पत्रजांच कार्यवाही, दण्डादेश अनुशासनिक पत्रावली एवम् उपलब्ध साक्ष्यों से विवद विवेचना मेंइस प्रकार करना चाहूंगा :-

(क) अपीलकर्ता का प्रथमतर्क है कि अनुशासनिक अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों पर विचार किये बिना एक पक्षीय निर्णय दिया है निराधार और अमान्य है । दण्डादेशस्वयं परिपूर्ण और स्पष्ट है ।

(ख) यह तर्क कि राजकीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों से आरोप अपीलकर्ता के विरुद्ध प्रमाणित नहीं होते मान्य नहीं है । आरोप संख्या एक, दो व चार अपीलकर्ता के विरुद्ध सिद्ध पाये गये हैं । यह सत्य है कि आरोप संख्या एक व दो में वर्णित खातों के जमाकर्ता जांच में उपस्थित नहीं हुए परन्तु प्रारम्भिक जांच में दिये गये उनके बयान जोप्रदर्श बनाये गये हैं उनकी सत्यता की पुष्टि उन बयानों को रिकार्ड करने वाले अधिकारियों ने जांच अधिकारी के समक्ष कर दी है अत: आरोपों को अप्रमाणित मानने का कोई वैध कारण नहीं है । अनुशासनिक अधिकारी ने दण्डादेश में सारी बातों का उल्लेख किया हैजिनके परिप्रेक्ष्य में आरोप सिद्ध पायेगये हैं ।

4- उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सिद्ध पाये गये आरोपों के आधार पर अपीलकर्ताकी सत्यनिष्ठा एवम् कर्तव्यनिष्ठा निर्विवाद रूप से सन्देहरहित नहीं कही जा सकती और इसे दृष्टि गत रखकर दियागया दण्ड सर्वथा न्यायोचित है औरउसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप का औचित्य प्रदर्शित नहीं होता ।

5- अतएव मैं एतद्द्वारा अपीलकर्ता की अपील अस्वीकार करता हूं तथा अधीक्षक डाकघर खीरी मण्डल खीरी के उपरोक्त ज्ञापन द्वारा उत्प्रदत्त दण्ड की पुष्टि करता हूं।

ह0/-
(भानु प्रताप सिंह)
निदेशक डाक सेवायें
लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ-7

प्रतिलिपि:
1-सम्बन्धित कर्मचारी
2-3-अधीक्षक डाकघर खीरी मण्डल, खीरी
4-5 क्षेत्रीय कार्यालय पत्रावली
6- अतिरिक्त ।

विश्वनाथसिंह

True Copy attested
[signature]

बिफोर दी ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल एडमिनिस्टेटिवट्रिबुनल एट इलाहाबाद

सर्किट बैंच लखनऊ ।

विश्वनाथ सिंह ... पिटीशनर

बनाम

यूनियन आफ इण्डिया .... रैस्पान्डैंट

एनेक्जर नम्बर- II

भारतीय डाक विभाग

कार्यालय अधीक्षक डाकघर खीरी मण्डल खीरी - 262701

ज्ञापन संख्या एफ-6/82-83
दिनांकित खीरी: 28-02-89

श्री विश्वनाथ सिंह शाखा डाकपाल ऱ्पुट आफ ड्यूटीऱ अम्बारा को डाकतार अति० वि० ऱआचरण एवंसेवाऱ नियमावली 1964 के नियम-8 के अन्तर्गत दुराचार एवंदुर्व्यवहार के लांछनों का एक विवरण इसकार्यालय के समसंख्या ज्ञापन दिनांक 11-10-88 द्वारा दियागया था । उनका अभ्यावेदन दिनांक 19-10-88 इसकार्यालय मे दिनांक 24-10-88 को प्राप्त हुआ । इसी बीच अनुबन्ध-4 की शुद्धि पत्र इस कार्यालय के ज्ञापन संख्या सम दिनांक 25-10-88 द्वारा दी गयी जो उन्हें 27-10-88 को प्राप्त हुआ । चूंकि श्री विश्वनाथ सिंह ने लाछनों को नहीं स्वीकारा इसलिए केन्द्रीय सिविल सेवाऱ वर्गीकरण नियंत्रण एवंअपीलऱ नियमावली 1965 के नियम 14 के आधारपर जांचकरवाने का निर्णय लियागया श्री ए०के० दीक्षित उप मण्डलीय निरीक्षक गोला को जांच अधिकारी तथा श्री फूलचन्द कार्यालय सहायक मण्डलीय कार्यालय खीरी कोप्रोजेटिंग आफिसर इस कार्यालय के ज्ञापन संख्या सम दिनांक 20-11-88 द्वारा नियुक्त किया गया।

जांच अधिकारी की जांच आख्या दिनांक 25-2-89 सम्बन्धित प्रलेखों गवाहों के बयानों, दोनों पक्षों के जांच साराशों तथा श्री विश्वनाथ सिंह के बयानों का मैंने गहनता से अध्ययन किया ।

इस मामले में जांच कार्यवाही 20-12-88, 11-1-89, 24-1-89

25

25-1-89 एवं 9-2-89 को हुई । दिनांक 20-12-88 कोश्री विश्वनाथ सिंह ने बिना बचाव सहायक के कुछ कहनेसे मना कियाउन्होंने अपने प्रार्थना पत्र दि0 11-1-89 में कहा कि जांच मेंकोई बचाव सहायक नहीं रखेगा और अपनेऊपर लगाये मांछनों कोअस्वीकार किया। दिनांक 24-1-89 कोलिखित एक पत्र दिया कि कोई कागजात या गवाह भी प्रस्तुत नहीं करते हैं । इस तरह श्री विश्वनाथ सिंह कोजांच अधिकारी ने समुचित अवसरदेते हुए जांच पूरी की ।

जांच कार्यवाही मेंनिम्न अभिलेख प्रस्तुत किये गये :-

1- अदायगी अधिपत्र खाता संख्या 2700528 ।ए। दि017-10-81 मु0 3300/- प्रदेशं क-1

2- श्री काशीराम पुत्रबल्दी राम का लिखित बयान दिनांक 19-3-86 क-2

3- ब0बै0 पासबुक खाता संख्या 2700528 ।ए। क-3

4- श्री राजकुमार सिंह पुत्र श्री खंजन सिंह का लिखित बयान दिनांक 6-3-86 क-4

5- श्री राजकुमार सिंह पुत्र श्री खंजन सिंह का लिखित बयान दिनांक 6-11-87 क-5

6- अदायगी अधिपत्र ब0बै खाता संख्या 2705784 दिनांक 16-10-80 मु0900/- क-6

7- श्री रामबहादुर पुत्र श्री बृजलाल का लिखित बयान दिनांक 5-3-86

8- श्री भगवती प्रसाद पुत्र श्री बृजलाल का लिखित बयान दिनांक 27-5-87 क-8

9- श्री भगवती प्रसाद पुत्र श्री बाबूराम का लिखित बयान दिनांक 19-3-86 क-9 8

10- 5 वर्षीय डी0डी0 खाता संख्या 106062 की रसीद दिनांक 13-10-81 क-10

11- ब0बै0 पासबुक खाता संख्या 2705784 की रसीद दिनांक 20-9-79 क-11

A27

16

12- अम्बारा बी0ओ0 डेलीएकाउन्ट दिनांक 20-9-79 क-12

13- श्री मूलचन्द पुत्र श्री भूषण लाल काबयान दि0 8-4-87 क-13

14- श्री शिवनरायन सिंह पुत्र श्रीउदय सिंह का लिखित बयान दिनांक 7-4-87 क-14

15- श्री शिव नरायन सिंह पुत्र श्री दय सिंह कालिखित बयान दिनांक 7-11-87 क-15

16- ब0बै0 खाता 2701546 की अदायगी अधिपत्र दि04-3-81 मु0 1000/- क-16

17- ब0बै0 खाता 2701546 की अदायगी अधिपत्र दि0 11-5-81 मु0 100/- क-17

18- अम्बारा ब0बै0 पासबुक खाता सं0 2701546 क-18

4 जांच कार्यवाही में अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित गवाहों कोप्रस्तुत ~~कि~~ कर उनके बयान जांच अधिकारी ने ~~xxx~~ लिखे :-

1- श्री भगवती प्रसाद पुत्रश्री बृजलाल नि0ग्रा0 डा0 अम्बारा जिला खीरी

2- ,, राम बाहदुर पुत्रश्री बृजलाल नि0ग्रा0 व डा0 अम्बारा जिला खीरी।

3- ,, राजकुमार सिंह पुत्र श्री खंजन सिंह ग्राव डा0 अम्बारा जिला-खीरी।

4- ,, काशीराम पुत्र श्री बल्दीराम ग्रा0 रामालखना डा0 अम्बारा जिला खीरी

5- ,, ए0के0 श्रीवास्तव सहा0 अधीक्षक ।मुख्यालय।खीरी।

6- ,, मनोहर लाल बचत विकास अधिकारी खीरी ।

गवाह श्री मूलचन्द पुत्र श्री भूखन लाल एवं श्री भगवती प्रसाद पुत्र श्री बाबू राम जांच अधिकारी के सम्मुख उपस्थिति नहीं हो सके यद्यपि इन्हें दिनांक 25-1-89 एवं9-2-89 को सम्मत भेज कर बुलाया गया था परन्तु जांच अधिकारी नेस्पष्ट नहीं किया किइनहें सम्मत मिलगया ~~xxxxx~~ था या नहीं । एक गवाह श्री शिवनारायण सिंह की मृत्यु हो चुकी थी ।

श्री विश्वनाथ सिंह पर लगाये गये लांछन निम्न प्रकार है :-

यह कि उक्त श्री विश्वनाथ सिंह ने अगस्त 72 सेअप्रैल 82 तक शाखा डाकपाल अम्बाराके पद पर कार्य करते हुए ब0बै/टी0डी0 खातों से फर्जी निकासिया

विश्वनाथ सिंह

A20

17

कर तथा ब0बै0/टी0डी0 पासबुकों में जमा के इन्द्राज कर सरकारी अभिलेखों में प्रदर्शित न कर स्वयं के निजी प्रयोग में लेकर शाखा डाकघर नियमावली केनियम 131, 133, 134 व 141 के प्राविधानों का पालन नहीं किया तथा सत्य निष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता बनाये नहीं रखी । ऐसा कर उन्होंने डाक तार अतिरिक्त विभागीय एजेन्ट ।सेवा एवंआचरण। नियमावली के नियम-17 का उल्लंघन किया।

श्री विश्वनाथ सिंह शाखाडाकपाल अम्बारा के पद पर माह अगस्त 72 से अप्रैल 82 तक कार्य करते हुए श्री मूल चन्द्र पुत्रश्री भुखन लाल ग्राव व पोस्ट अम्बारा से दिनांक 20-9-79 को ब0बै0 खाता संख्या 2705784 की पासबुक ब्याज हुत प्राप्त की और पासबुक की रसीद एक सादे कागज पर दे दी जिसमें अवशेष रू0 1117-50 दिखाया गया । इस पासबुक को ब्याज के लिए लेखा कार्यालय नहीं भेजा और नियम 141 का उल्लंघन किया। दिनांक 16-10-80 को उक्त खाते से 900/- निकासी की गयी किन्तु रुपया निकालने के आवेदन पर तथा अदायगी अधिपत्र ।एस0बी0-7। पर जमाकर्ता के हस्ताक्षर नहीं करवाये । जमाकर्ता को इसका भुगतान भी नहीं किया गया तथा नियम 134 का उल्लंघन किया।

श्री शिव नारायण सिंह पुत्र श्री उदय सिंह ग्राम रामालखना, डा0 अम्बारा, की ब0बै0 खाता संख्या 2701546 से दिनांक 4-3-61 को भीरा डाकघर से 1000/- की निकासी की गयी इसमें उक्त श्री विश्वनाथ सिंह ने भीरा जाकर स्वयं जमाकर्ता की गवाही लिखी जब कि निकासी फार्म पर जमा कर्ताके हस्ताक्षर नहीं थे । इस निकासीके बाद पासबुक में 11-45 शेष जमा वर्ष 1979-89 का ब्याज 95-10 जोड़ने पर अवशेष 106-55 हो गया । दिनांक 11-5-81 को इस खाते में 100/- की निकासी की गयी औरअवशेष 6-55 रहना चाहिए था जब कि उपरोक्त श्री विश्वनाथ सिंह ने पासबुक में अवशेष 1006-55लिखा और दिनांक 19-3-82 को 50/- जमाकरने के बाद अवशेष 1056-55 लिखा जब कि 56-55 होना चाहिए था ।

विश्वनाथ सिंह

श्री भगवती प्रसाद पुत्र बाबूराम निवासी अम्बारा की 5साला टी0डी0 खाता संख्या 106062 की पासबुक दिनांक 13-10-81 को ले ली तथा

एक सादे कागज पर अवशेष 600/- दिखलाते हुए दी जब कि 9-11-78 को 100/ निकासी के उपरान्त इस खाते में अवशेष केवल 500/- था यह पासबुक ब्याज के लिए लेखा कार्यालय नहीं भेजी गयी । इस प्रकार उन्होंने इस खाते में 100/- के दुर्विनियोजनके विभाग को क्षति पहुंचाई ।

श्री मुरलीधर पुत्र काशीराम ग्राम रामालखना अम्बाराकी पासबुक ब0बै0 खाता संख्या 2700528 ॥ए॥ सेदिनांक 17-10-81 को 3300/- की निकासी की गयी । इस निकासी का इन्द्राज पासबुक में नहीं किया गया । जमाकर्ता ने निकासी के आवेदन पत्र व निकासी अधिपत्र पर अपने अंगूठे का निशान होनेसे भी इनकार कियाहै । इस प्रकार इन्होंने शाखा डाकघर नियमावली के नियम 134 का उल्लंघन किया ॥

लांछन-। श्री मूलचन्द खाता दार बचत खाता सं0 2705784 के बयान ॥प्रदर्श क-1-13॥ के अनुसार श्री विश्वनाथ सिंह ने पासबुक लेकर एक सादे कागज में रसीद दिनांक 20-9-79 ॥प्रदर्श-क-11॥ हस्ताक्षर व तारीख मोहर सहित दी जिसमें रकम 1117-50 लिखी है। आरोपित अभिकर्ता नेअपने बयान दिनांक 9-2-89 को जांच अधिकारी को दिये हैं में कहा है कि खातेदार द्वारा पासबुक उन्हें दी ही नहीं गयी थी और नहीं कोई फर्जी रसीद दी गयी उनसे पूछेगयेप्रश्नके उत्तर में कहा किविभाग के किसीभीकर्मचारी याअधिकारी के द्वारा पिछली तारीख मेंबदल कर लगायी गयी है उनके हस्ताक्षर नहीं है और नहीं हैंड राइटिंग है आरोपित अभिकर्ता का कथन गलत है क्यों कि बी0ओ0 डेली एकाउन्ट दिनांक 20-9-79 ॥ प्रदर्श-क-12॥ में उक्त पासबुक की प्रविष्टि आरोपित अभिकर्ताद्वारा की गयी है । प्रदर्श क-12 व रसीद प्रदर्श क-11 की लाल स्याही मिलती है । जिस फार्म ॥एक-1॥ पर बी0ओ0 डलीएकाउन्ट दिनांक 20-9-79 ॥प्रदर्श क-12॥ बनाया गया है उसी फार्म ॥एम-1॥ पर रसीद दिनांक 20-9-79 ॥प्रदर्श क-11॥ भी बनाईगयी है । इससे स्पष्टहैकि पास बुक खातेदार से लेकर, रसीद आरोपित अभिकर्ता ने ही दी । इसी बचत खाता से दिनांक 22-10-80 को 900/- निकासी कर ली गयी । खातेदार नेअपने बयान दिनांक 8-4-87 ॥प्रदर्श क-13॥ में 900/- की निकासी करना स्वीकार नहीं कियाहै और न ही प्रदर्श क-6 में हस्ताक्षर और नहीं रकम प्राप्त करना स्वीकार कियाहै । दिनांक 16-10-80

विश्वनाथ सिंह

को निकासी प्रार्थना पत्र ॥प्रदर्श क-6॥ मेंगवाही श्री भगवती प्रसाद की है श्री भगवती प्रसाद नेअपनेबयान दिनांक 27-5-87 ॥प्रदर्श क-8॥ में लेखस्वीकार किया था परन्तु उनके सामने श्री मूलचन्द्र ने हस्ताक्षर नहीं किये थे, परन्तु श्री भगवती प्रसाद गवाह ने दिनांक 24-1-89 को कहाहै कि उस बयान प्रदर्श क-8 में यह बात झूठी लिखी हैकि मेरे सामने श्री मूल चन्द्र ने हस्ताक्षर नहीं किये थे। झूठी बात बयान लेने वाले अधिकारी के कहने से लिखदी थी। श्री भगवती प्रसाद का कथन विश्वासनीय नहीं है क्यों किएक अधिकारीझूठी बात लिखवायेगा जब कि उन्हें डराया व धमकाया नहीं था फिरउन्हें याद नहीं है कि प्रार्थना पत्र पहले भरा हुआ था या नहीं या उनके द्वारा गवाही लिखने के बादभरा गया। इसी तरह निकासी फार्म ॥प्रदर्श क-6॥में दिनांक 22-10-80 को श्री राजकुमार सिंह ने गवाही की थी। उनके बयान ॥प्रदर्श क-5॥ मे स्पष्ट है किउनके सामने हस्ताक्षर नहीं लिये थे और न हीं नौ सौ रूपया उनके सामने भुगतान किया गया था परन्तुदिनांक 24-1-89 के बयान में कहते हैं कि उनके सामने हस्ताक्षर किया 900/- रूपया दिये जमाकर्ता श्री मूलचन्द्र के भय सेअपने बयान ॥प्रदर्श क-5॥ में कुछ झूठी बातें लिख दी थी क्यों कि मूल चन्द्र मौके पर मौजूद थे उनका कथन गलत है क्यों कि श्री मूलचन्द्र ने बयान ॥प्रदर्श क-13॥ दिनांक 8-4-87 को लिये जा चुके थे। उनके बयान ॥प्रदर्श क-5॥ दिनांक 6-11-87 को लिया गया था इसलिए श्री मूलचन्द्र मौके पर मौजूद नहीं थे। इनसब से यह स्पष्टहैकि खातेदार मूलचन्द्र ने 900/- की निकासी दिनांक 22-10-80 को नहीं की थी क्यों कि पास बुककी रसीद दिनांक 20-9-79 ॥प्रदर्श क-11॥ जमाकर्ता केपासथी अन्यथा वह रसीद, पासबुक वितरण के बाद डाकघर में होनी चाहिएथी। इस तरह आरोपित अभिकर्ता ने शाखाडाकघर नियमावलीके नियम 141 व 134 में दिये गयेप्रावधानों का पालन नहीं किया मैं जांच अधिकारी के कथनसे सहमत नहींहूं कि यहआरोपपूर्णरूपेण सिद्ध साबित नहीं होता। उपरोक्त तथ्यों के आधार परआरोपितअभिकर्ता पर लगाया गया लांछन, पूर्णरूपेण सिद्ध है।

लांछन-2 - ॥1॥ श्री शिव नरायनसिंह खातेदार की मृत्यु हो चुकी हैउनके बयान दिनांक 7-4-87॥ प्रदर्श क-14॥व 7-11-87 ॥प्रदर्श क-15॥ को सनाक्त गवाह

श्री मनोहर लाल जिनके सम्मुख बयानदियेगये थे ने किया है । श्री शिव नरायण सिंह ने स्वीकार कियाथा कि निकासी फार्म दिनांक 4-3-81 (प्रदर्श क-16) में न तो उनके हस्ताक्षरहै और नहीं उन्होने 1000/- रूपये की निकासी की उनकी पासबुक संख्या 2701546 (प्रदर्श क-18) में बकाया दिनांक 11-5-81 को 100/ की निकासी करने तथा 19-3-82 को 50/- जमा करने के बाद मु0 1056-55 है ।

(iii) प्रदर्श क-18, प्रदर्श क-16 व प्रदर्श क-17 का मिलान करने पर यह स्पष्ट है कि पासबुक (प्रदर्श क-18) में दिनांक 4-3-81 भीराउप डाकघर की इन्दराज को मिटाया गया है इस 1000/- रू0 की निकासी कोलेकर ब्याज लेगाकर बकाया 106-55 आता है जिसे 1106-55 बनाया गया स्पष्ट लगता है फिर 11-5-81 को 100/- निकासी (प्रदर्श क-17) कर आरोपित अभिकर्ता ने बकाया पासबुक प्रदर्श क-17 में मु0 1006-55 लिखा है परन्तु निकासी फार्म में 6-55 लिखाहै । इसीतरह दिनांक 19-3-82 को50/- रू0 जमा के बाद पासबुक पास बुक प्रदर्श क-18 में बकाया 1056-55 लिखा है आरोपित अभिकर्ता ने अपने बयान दिनांक 1056-55 लिखा है । आरोपित अभिकर्ता ने अपने बयान दिनांक 9-2-89 में स्वीकार कियाहै कि पासबुक (प्रदर्श क-18) मेंउनके हस्ताक्षर व तारीख मुक्कर है। उनहे द्वाराबकया 6-55 व 56-55 ही लिखा गयाथा उनका कथन विश्वासनीय नहीं है क्यों कि प्रदर्श क-18 में बकाया 1006-55 व 1056 -55 स्पष्ट लिखा है । और बाद को बढाया गया नहीं दिखता है स्याही भी एक ही है ।

(iv) मु0 1000/- की निकासी फार्म प्रदर्श क-16, दिनांक 4-3-81 को ही भरा गया और 4-3-81 को ही भीरा उप डाकघर से भुगतान हुआ दोनों ओर गवाहहै आरोपित अभिकर्ता की है रूपया निकालने का प्रार्थना पत्र में आरोपित अभिकर्ताने लिखा है कि " मैं हिसाब शिव नरायन सिंह भली जानता व पहचानता हूं इन्होनयह हस्ताक्षर मेरे सामने किये हैं" दूसरी ओर लिखाहै "मैं हिसाबदार शिवनारायन सिंह को भली भांति जानता व पहचानता हूं इन्होने मेरे सामने हस्ताक्षर किया करके 1000/- एक हजार रूपया प्राप्त किया" जब कि आरोपित अभिकर्ता ने अपने बयान दिनांक 9-2-89 में प्रस्तुत कर्ता द्वारा पूछे गये प्रश्न

"क्या प्रदर्श क-16 पर बने जमाकर्ता के हस्ताक्षर शिवनरायनसिंह के ही हैं और आपके सामने बनायेगये थे" के उत्तर में कहा हैकि " इन हस्ताक्षरों के बारे में मुझे कुछभी नहींहैं कहना है इसके बारे में लेखा कर्यालय काभुगतान कर्मचारी जाने । जब कि निकासी फार्म प्रदर्श क-16 में गवाही स्पष्ट लिखी है इससे स्पष्ट है कि शिवनरायन सिंह के हस्ताक्षर प्रदर्श क-16 में फर्जी थे । अपने बयान दिनां 9-2-89 में आरोपित कर्मचारी ने कहा है कि " हो सकताहै कि मैने अपने हस्ताक्षर डाकघर से ही गवाही की होगी । तथा रु0 1000/- का भुगतान खातेदार ने भी भीरा सेलिया होगा जालसाजी स्वयं खातेदार नेकी होगी उन्हें महज फंसाने के लिए " । यह बयान भी आरोपित कर्मचारी का गलत है । प्रदर्श क-16 में स्पष्ट लिखा है कि मेरे सामने हस्ताक्षर करके 1000/- प्राप्त किया" इसलिए सारी कार्यवाही आरोपित अभिकर्ता ने अपने सामने की थी इस प्रकार उन पर लगाया लांछन पूर्ण सिद्ध है । मैं जांच अधिकारी की जांच आख्या से सहमत हूं ।

लांछन-3- (1) श्री भगवती प्रसाद खातादार 5 साला टीडी खाता संख्या 106062 नेअपनेबयान दिनांक 19-3-86 (प्रदर्श क-9) में कहा है कि रसीद दिनांक 13-10-81 (प्रदर्श क-10) के बाद न तोरुपया जमा किया और नहीं रूपया निकाला था । आरोपित अभिकर्ता ने ब्याज लगाने के बहाने पासबुक ले लीथी तथा रसीद दिनांक 13-10-81 (प्रदर्श क-10) जिसमें बकाया रु0 600/- लिखा दी है दी थी आरोपित अभिकर्ता अपने बयान दिनांक 9-2-89 में कहते हैं कि "नहीं" पासबुक ली, नहीं रसीद दी, नहीं कोईएन्ट्री लेन देन किया, नहीं कोई एन्ट्रीरसीद दी इससेस्पष्टहै कि वास्तव में वह एन्ट्री रसीद नहीं है और 100/- की निकासी दिनांक 9-11-78 को करना स्वीकारकिया है ।

(11) जांच अधिकारी नेरसीददिनांक 13-10-81 (प्रदर्श क10) जिसमें रकम 600/- रूपया दर्ज हैआरोपित अभिकर्ता द्वारा दिया जानासिद्ध किया तथा पासबुक लेना भी श्री भगवती से आरोपित अभिकर्ताद्वारा लिया जाना भी सिद्ध किया है और आरोपित अभिकर्ता ने दिनांक 9-11-79 को 100/- की निकासी करना भी अपने बयान दिनांक 9-2-89 में स्वीकारकिया हैजांच अधिकारी ने यह भी स्वीकार कियाहै कि 9-11-76 को100/- निकासी के बादबकाया 13-10-81 को 500/- होना चाहिए थारसीद भी 500/= कि दी जानी चाहिए

22

थी इससे स्पष्टहै प्रतीत हो गया कि 100/- आरोपित अभिकर्ता नेग्रहण गबन कर लियाऔरइसे छिपाने केलिए रसीद 600/- की दी थी तथा पासबुक गायब कर दी जिसकी पुष्टि गवाह श्री मनोहर लाल एवंश्री श्रीकान्त श्रीवास्तव ने की है। इसलिए मैं जांच अधिकारी के तर्क से सहमत नहीं हूं कि 100/- इस खाते में दुर्विनियोजन सिद्ध नहीं होता क्यों कि न तो उसके लिए कोईप्रलेख और नहीं कोईगवाह प्रस्तुत किये है गये ।

लांछन-4- ब0बै0 खाता सं0 2700520 में से दिनांक 18-10-81 को 3300/- की निकासी की गयी परन्तु पास बुक प्रदर्श क-3 में इन्दराज नहीं किये गये । श्री काशीराम जिसके द्वाराइस खाते का संचालनहोता था, नेअपने बयान दिनांक 19-3-86 प्रदर्श क-2 व बयान दिनांक 24-1-89 को जांच अधिकारी को दिये हैं के अनुसार 3300/- की निकासी इस खाते से नहीं थी । निकासी फार्म दिनांक 17-10-81 प्रदर्श क-11 में न तोउनके अंगूठे हैं और न ही धन प्राप्त किया गवाह श्री रामकुमार सिंहने अपने बयान में0दिनांक 6-3-86 प्रदर्श क-4 में कहा था कि उनके सामने 3300/- रूपये प्राप्त नहींकिया था और न ही निशानीअगूंठा लगायाथा। परन्तु अपनेबयान दिनांक 24-1-89 को जांच अधिकारी को दिये मेंकहा है "मेरेसामनेअंगूंठा लगाया था और मेरे सामने 3300/- प्राप्त किया था उन्हें नहीं मालूम कि पासबुक पर कुछ लिखाथा या नहीं । काशी राम इसखाते की पासबुक साथ लायाथा" यह बयान इनका विश्वसनीय नहीं है क्यों कि श्री काशीराम के बयानदिनांक 19-3-86 प्रदर्शक-2 भी इनके ही द्वारा लिखागया तब भी इन्होने कोईआपत्ति नहीं की इसी तरह गवाह श्री राम बहादुर नेअपने बयान दिनांक 5-3-86 प्रदर्शक-7 में कहाथा कि प्रदर्श क-1 में उनका लेखनहीं है नहीं उनके सामने काशीराम नेअंगूंठा लगाया था परन्तु दिनांक 24-1-89 के बयानमें कहतेहैं कि अपने हस्ताक्षर प्रदर्श क-1 में पहचानलियेहैं परन्तुभुगतान पत्रमैंने नहीं भरा था यहपहले से ही भरा था । उनके सामने नाबालिगका प्रमाणपत्रएवंराकेश सिंह की गवाही नहीं लिखी थी । जांच अधिकारी के कथन सेमैं सहमत नहींहूं कि इनके बयान दिनांक 24-1-89 संदेहास्पद प्रतीत होते हैं ।

***

A34

23

§11§ आरोपित अभिकर्ता ने अपनेबयान दिनांक 9-2-89में कहा है कि §
किसी भी अधनराशि का उनके ,द्वाराकोईफर्जी लेनदेन नहीं किया गयाखाते दार अब अपना नि0आ0 नबताकर जोभी कहताहैवह बिलकूल झूठा एवंनिराधार है"आरोपित अभिकर्ताका कथन सत्य नहीं है । क्यों कि पासबुक प्रदर्श क-3 भीरा अउपडाकघर से नई दिनांक 12-9-81 को बनी थी और उसी दिन निकासी फार्म प्रदर्शक-1 बनाया गया तथा इसे 17-10-81 कोभुगतान में अम्बारा बी0ओ0 आरोपित कर्मचारी ने दिखाया म यदियह निकासी सातेखात ने की होती तो पासबुक प्रदर्शक-3 में अवश्य ही प्रविष्टि हाती जो कि नहीं है । इन सब तथ्यों से स्पष्टहै कि आरोपित अभिकर्ता परलगाये गये लांछनपूर्ण सिद्ध है जांच अधिकारी के तर्कसे मैं सहमत हूं कि श्री काशीराम ने निशानी अंगूठा नहीं लगाया और 3300/- काभुगतान नहींप्राप्त किया सम्बन्धित पास बुक मेंइसनिकासी का इन्दराज भी नहीं है ।

इस तरह श्री विश्वनाथ सिंह ने अगस्त 72 सेअप्रैल 82 तक शाखा डाकपाल अम्बारा केपद का कार्य करते हुए डाकघर नियमावली के नियम 131, 133, 134 व 141 मेंदियगये प्राविधानों का उल्लंघन किया तथासत्यनिष्ठाएवं कर्तव्य परायणता बनाये नहीं रखी जिससे विभाग कोक्षतिपहुंचाई ऐसाकरके उन्होंने डाक तार अतिरिक्त विभागीय ऐजेन्ट § सेवा एवंआचरण § नियमावली 1964 केनियम 17 का स्पष्ट उल्लंघन कियाहै । श्री विश्वनाथ सिंह को सेवा में रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं हाता है ।

आदेश

मैं दयाराम अधीक्षक डाकघर खीरी मण्डल,खीरी श्री विश्वनाथ सिंह शाखा डाकपाल §ल आफड्यूटी§अम्बारा कोसेवा से ~~xxxxxx~~ निष्कासन का दण्ड देता हूं तो तत्काल प्रभावी होंगें ।

ह0/-
§ दया राम §
अधीक्षक डाकघर
खीरी मण्डल
खीरी-262 701

प्रतिलिपि:
1-श्री विश्वनाथ सिंह ग्राम व पो0अम्बारा
जांच आख्या दि0 25-2-89 की एक प्रति संलग्न है§
2- दण्ड रजिस्टर
3- पोस्टमास्टर खीरी-4, स्थापनाअनुभाग-5उपमण्डलीय निरी0प लिया
6- कार्यालय 7- अतिरिक्त ।

विश्वनाथ सिंह

True Copy attested
Ahmad

§सत्य प्रतिलिपि§

In the Central Administrative Tribunal at Allahbad,
Circuit Banch, Lucknow.

Misc. Application No. M.P. No. 9/91(L) of 1990

on behalf Respondents.

In

Case No. 226 of 1990

Vishwanath Singh .... Applicant.

Versus.

Union of India & Others..... .....Respondents.

APPLICATION FOR CONDONATION OF DELAY

The respondents respectfully beg to submit as under :-

1. That the written reply on behalf of the respondents could not be filed within the time allotted by the Hon'ble Tribunal on account of the fact that after receipt of the parawise comments from the respondents, the draft-reply was sent to the department for vetting.

2. That the approved written reply has been received and is being filed without any further loss of time.

Filed today
7/1/91

3. That the delay in filing the written reply is bonafide and not deliberate and is liable to be condoned.

WHEREFORE, it is prayed that the delay in filing the written reply may be condoned and the same may be brought on record on which the respondents shall ever remain grateful as in duty bound.

D. Chandra
(Dr. Dinesh Chandra)
Counsel for the Respondents.

Lucknow :

Dated : 22-1-91
7-1-91

In the Central Administrative Tribunal

Circuit Bench

Lucknow.

Case NO. O.A. 226 of 1990.

Vishwanath Singh — Applicant.

versus

Union of India & others — Respondents.

Counter Affidavit on behalf of Respondent No. 3

...

I, Daya Ram, aged about 53 years, son of late Shri Bachi Ram do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That the deponent has read the application filed by Shri Visva Nath Singh and has understood the contents thereof. He is well conversant with the facts ofthe case deposed hereinafter.

2. That it will be worthwhile to give a brief history of the case as under:

contd.....2

Brief history of the case

Shri Vishwanath Singh had been working as Extra Departmental Branch Post Master (EDBPM) Ambara from Aug, 1972 to April, 1982. During the above said period he had misappropriated in certain accounts of deposits and withdrawals in Savings Bank/Time deposit (SB/TD) accounts standing in the books of his office. The case of misappropriation came into light on 27.4.82 when Sub Divisional Inspector (SDI), Kheri (N) visited Ambara Branch Post-Office for inspection. Shri Vishwanath Singh could not produce the cash for verification before the S.D.I. who also examined a few SB pass books and found that the accounts of deposit entered in the pass books were not accounted for by the said EDBPM. Shri Vishwanath Singh was therefore, placed under Put Off duty on 29.4.82 by the than SPOs Kheri Dn.. After conducting enquiries/verification vide deposits/withdrawals total amount of Rs 49,292.20 was found to have been misappropriated in 38 SB/TD accounts by Shri Vishwanath Singh.

Shri Vishwanath Singh was charge sheeted under rule 8 of P&T ED Agents(Conduct & Service) Rules, 1964 vide Memo No. F-6/82-83 dt. 11.10.83 which was delivered to the applicant on 17.10.88. The applicant received and denied all the charges levelled against him. Before appointing enquiry officer, two departmental witnesses

contd...3

were added in annexure 4 and corrigendum was issued under Memo No. F-6/82-83 dated 25.10.88. Since the charges were denied and it was decided to hold a departmental enquiry on the pattern of rule 14 of CCS(CCA), Rules, 1965. Shri A.K. Dixit, SDI, GGNath was appointed as enquiry officer and Shri Phool Chandra, was appointed as Presenting Officer. The applicant inspected the listed documents on 11.1.89 and informed the I.O. that he will not produce any documents and witnesses. No defence assistant was also nominated by the applicant. The applicant's statement was recorded by the I.O. on 9.2.89. On receipt of brief from the presenting officer, the applicant submitted his brief on 21.2.89. The I.O. submitted the enquiry report dated 25.2.89 to the disciplinary auth-ority (Respondent No. 3). The enquiry report was examined by the SPOs Kheri (Respondent No.3) alongwith statement of witnesses, ~~of witnesses~~ exhibits, proceeding sheets, statements of applicant and brief of the Presenting Officer and the applicant. The charge levelled against the applicant ware found fully proved. As such the punishment of 'Removal from Service' was awarded to the applicant by the respondent No. 3 (SPOs Kheri) vide memo No. F-6/82-83 dated 28.2.89 which was delivered to the appliant on 3.3.89.

An appeal dated 15.5.89 against the punishment order was preferred by the applicant to the Director

contd....4

Postal Services, Lucknow Region, Lucknow. The appeal was considered by the appellate authority and it was rejected by him vide his memo No. RDL/Staff/A-14/89/3 dated 30.7.89. The decision of the appeal was delivered to the applicant on 27.1.90. Now the applicant has submitted an application before this Hon'ble Tribunal for relief.

Parawise comments

.....

3. That the contents of para I to III of the Original Application need no comments.

4. That the contentes of para IV(a) are admitted. The applicant was appointed under the provisions of the Posts and Telegraphs Exta Departmental Agents (Conduct and Services) Rules, 1964.

5. That in reply to para IV(b) of the original application, it is stated that the applicant was served with a charge sheet dated 11.10.88 issued by the department. It was not a notice. Rest of the contents are admitted.

6. That the contents of para IV(c) of the original application are not correct and hence denied. In reply to the charge ~~as~~ sheet dated 11.10.88, the applicant submitted his representation dated 19.10.88. Before appointing the

contd. ...5

enquiry officer, a corrigendum to the annexure 4 (list of witnesses) of the charge sheet dated 11.10.88 was issued vide Memo No. F-6/82-83 dated 25.10.88. This Memo dated 25.10.88 was not the chargesheet. It was a corrigendum to the annexure 4 of the charge sheet.

7. That in reply to para IV(d) it is stated that the applicant submitted a representation dated 19.10.88 which was a reply of the charge sheet dated 11.10.88.

8. That in reply to para IV(e) it is stated that the applicant did not produce any defence witness. On receipt of the Enquiry Report dated 25.2.89 the same was examined with the relevant documents by the deponent. The deponent who was the disciplinary authority in this case did not agree with the findings of the Enquiry Officer in respect of Charge No. 1, 3 and 4. According to the deponent, all the charges spelled out in the charge sheet are proved which he has discussed in detail in the punishment order dated 28.2.89 (Annexure 2) of the application.

9. That the contents of para IV(f) of the original application are denied. No order dated 28.2.89 for putting off the applicant from duty was issued by the deponent.

10. That the contents of para IV(g) of the original application are admitted.

contd....6

11. That the contents of para IV(h) of the original application need no comments.

12. That in reply to para IV (i) it is stated that the depositor in respect of Charge No. 1 did not appear before the enquiry officer but the relevant documents (exhibits ~~extracts~~) including the written statement given by the depositor and admitted by the witnesses were produced before the enquiry officer. It is denied that the depositor in respect of charge No. 4 did not appear before the Enquiry Officer. As a matter of fact the Savings Bank Account No. 2700528 was in the name of Shri Murlidhar, who was a minor, which was being operated through his father, Shri Kashi Ram. As such Shri Kashi Ram appeared before the Enquiry Officer on 29.1.89.

The Depositor in respect of charge No. 2 who was dead. As such the question of his appearing before the Enquiry Officer did not arise. However, his written statements and other exhibits were admitted by the witnesses during the course of enquiry. On the basis of material evidence and the witnesses, the charge levelled against the applicant was found proved. The applicant failed to observe the provisions of Rules, 131,133,134 and 141 of the Rules for Branch Offices and thereby acted in violation of the provisions of Rule 17 of the P & T EDA(Conduct of Service)

contd....7

A42

Rules, 1964.

13. That in reply to the contents of para IV(j) of the original applidation it is stated that the appellate authority after careful consideration of the entire record of the disciplinary proceedings did not like to interfere with tthe decision taken by the disciplinary authority against the applidant and confirmed the order of Removal from service of the applicant.

14. That in reply to the contents of para IV (k) and (l) of the original application it is stated that the disciplinary and appellate authorities acted in conformity with the provisions of the relevant rules as indicated in the above paragraphs. All the charges levelled against the applicant were found proved as a result of the Enquiry.

15. That the ~~contents of~~ comments on various sub paras of para V of the application are given below:

V(i) Contents of this para are denied. The appellate authority (respondent No. 2) acted in accordance with the provisions of Rule 15 of the P&T EDA (Conduct and Service) Rules 1964. His decision in rejecting the appeal was based on the records of the disciplinary proceedings.

v(ii) Contents of this para are denied. The submissions made in para 8 above are reiterated.

contd....8

v(iii) The contents of this para are denied. The submissions made in para 12 above are reiterated.

v(iv) The contents of this para are denied. There were documentary evidence to establish that the applicant misappropriated the amount.All those documents were produced during the course of enquiry.

V(V) and V(VI) The charge of misappropriation was proved on the basis of documentary evidence and the statements of the witnesses.

V(vii) The submissions made in para 12 above are reiterated.

V(viii) to V(xi) The appeal of the applicant was duly considered by the appellate authority on the basis of the relevant records and was rejected. The order of removal from service was confirmed. Submissions made in respect of para V(i) above are reiterated.

16. That in reply to para VI it is stated that no such order of putting off duty of the applicant was issued. There is no provision for making an appeal against the order of put off under Rule 17 of EDA (Conduct & Service) Rules, 1964.

17. That the contents of para VII of the original application need no comments.

contd....9

18. That in view of the submissions made in the above paragraphs, the relief sought for in para VIII and interim relief prayed for in para IX are not admissible. The application lacks merit and is liable to be dismissed with costs.

19. That the contents of para X to XII need no comments.

20. That in view of the submissions made in the above paras the application filed by Shri Vishwa Nath Singh is not ~~liable~~ tenable in law andis liable to be dismissed with costs.

Deponent.

Lucknow

Dated: 22/11/9.

Verification.

I, the deponent named above do hereby verify that contents of para 1 to 3 and brief history of facts are true to my personal knowledge andbelief and those of paras 4 to 17 are believed to be true by me on the basis oflegal advice and record. Nothing material has been suppressed and no part has been concealed. So help me God.

Deponent.

I identify the deponent who has signed before me.

Advocate.

AUS

Before the Central Administrative Tribunal at Allahabad

Circuit Bench, Lucknow.

O.A.No. 226 of 1990

Vishwanath singh ...... Applicant

vs.

Union of India and others... Respondents.

Rejoinder ~~Affidavit~~

I, Vishwanath singh aged about 44 years son of Sri Bhagwan singh, resident of village and Post-Ambara District-Kheri, do hereby solemnly affirm and state on oath as under -

Filed today
19/3/92

1(a) That the deponent is the applicant in the abovenoted case and he is fully conversant with the facts and circumstances of the case. The deponent has readover the counter affidavit filed by the respondent no.3 and understood the contents thereof.

1(b) That thecontents of para 1 of the counter affidavit do not require any reply.

2. That the contents of para 2 of the counter affidavit as alleged are wrong and denied &

contents of para 2 of the Original Application are reiterated.

3. That the contents of para 3 of the counter affidavit do not require any reply.

4. That the contents of para 4 of the counter affidavit do not require any reply.

5. That the contents of para 5 of the counter affidavit as alleged are wrong and denied and the contents of para IV(b) of the Original application are reiterated.

6. That the contents of para 6 of the counter affidavit are wrong and denied and the contents of para IV(c) of the Original application are reiterated.

7. That the contents of para 7 of the counter affidavit do not require any reply.

8. That the contents of para 8 of the counter affidavit ~~do-not~~ are wrong anddenied and the contents of para IV(e) of the Originalapplication are reiterated.

9. That the contents of para 9 of the counter affidavit are wrong and denied and the contents of para IV(f) of the Original application are reiterated.

10. That the contents of para 10 of the counter affidavit does not require any reply.

11. That the contents of para 11 of the counter affidavit do not require any reply.

12. That the contents of para 12 of the counter affidavit are wrong and denied and the contents of para IV(I)of the Original application are reiterated. It is a fact that the depositer in respect of Charge No.4 was not produced before the enquiry officer. The depositor was not made available for cross examination by the applicant. Kashi Ram was not produced to cross examination with respect to the charge no.2 ,there was no evidence of embezzlement by the applicant.

13. That the contents of para 13 of the counter affidavit are wrong and denied and the contents of para IV(j)of the Original application are reiterated.

14. That the contents of para 14 of the counter affidavit are wrong and denied and the contents of Para IV(k) & (l)of the original application are reiterated.

15. That the contents of para 15 of the counter affidavit are wrong and denied.

16. That the contents of para 16 of the counter affidavit are wrong and denied.

17. That the contents of para 17 of the counter affidavit do not require any reply.

18. That the contents of para 18 of the counter are wrong and denied.

19. That the contents of para 19 of the counter affidavit do not require any reply.

20. That the contents of para 20 of the counter affidavit are wrong anddenied.

21. That the contents of paras of this rejoinder affidavit are true to my personal knowledge No part of it is false and nothing material has been concealed, so help me God.

Deponent

Lucknow, dated
May 19, 1992

Verification

I, Vishwanath Singh, deponent, do hereby verify that the contents of paras 1(a), (b), 2 to 21 of this rejoinder affidavit are true to my personal knowledge, those of paras
are believed by me to be true on the basis of information received and those of paras
are to be correct on the basis of legal advice.

Signed and verified this 19th day of May 1992 in the court compound at Lucknow.

Deponent

I identify the deponent who has signed before me.

19/5/92

A49

47

Before Central Administrative Tribunal Allahabad Circuit Bench Lucknow

बअदालत श्रीमान महोदय

O.A. N. — 1990

वादी (मुद्दई) / मुद्दई (मुद्दालेह) का **वकालतनामा**

Vishwa nath Singh
vs
Union of India &c

बनाम प्रतिवादी (रेस्पान्डेन्ट)

नं० मुददमा सन पेशी की ता० १९ ई०

ऊपर लिखे मुकद्दमा में अपनी ओर से श्री *Hari Om Singh, B.K. Mitra* वकील

Shakeel Ahmad एडवोकेट महोदय

151, Old Haider Ganj LUCKNOW.

को अपना वकील नियुक्त करके (इकरार) करता हूं और लिखे देता हूं इस मुकद्दमा में वकील महोदय स्वयं अथवा अन्य वकील द्वारा जो कुछ पैरवी व जवाब देही व प्रश्नोत्तर करें, या अन्य कोई कागज दाखिल करें या लौटावें या हमारी ओर से डिगरी जारी करावें और रुपया वसूल करें या सुलहनामा या इकबाल दावा तथा अपील व निगरानी हमारी ओर से हमारे या अपने हस्ताक्षर से दाखिल करें और तस्दीक करें या मुकद्दमा उठावें या कोई रुपया जमा करें या हमारी या विपक्ष (फरीकसानी) का दाखिल किया रुपया अपने या हमारे हस्ताक्षर-युक्त (दस्तखती) रसीद से लेवें या पंच नियुक्त करें वकील महोदय द्वारा की गई वह कार्यवाही हमको सर्वथा स्वीकार है और होगी। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि मैं हर पेशी स्वयं या किसी अपने पैरोकार को भेजता रहूंगा। अगर मुकद्दमा अदम पैरवी में एक तरफा मेरे खिलाफ फैसला हो जाता है उसकी जिम्मेदारी मेरे वकील पर न होगी। इसलिए यह वकालतनामा लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

नाम अदालत ....
नं० मुकद्दमा ....
नाम फरीकैन ....

Accepted
Ahmad Adv

हस्ताक्षर *विश्वनाथ सिंह*

साक्षी (गवाह) ________ साक्षी (गवाह) ________

दिनांक *20* महीना *7* सन् १९*90* ई०

A50 24

विफोर दी सेन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिबुनल एड इलाहाबाद

सर्किट बैंक लखनऊ

विश्वनाथ सिंह ... ... पिटीशनर

बनाम

यूनियन आफ इण्डिया ... ... रेस्पान्डेंट

एनेक्जर नम्बर-III

भारतीय डाक विभाग

कार्यालय अधीक्षक डाकघर खीरी मण्डल खीरी 262701
ज्ञापन संख्या एफ-6/82-83 दिनांक खीरी 11-10-88

श्री विश्वनाथ सिंह शाखा डाकपाल (पुटआफ ड्यूटी)/के विरूद्ध अति० वि० कर्मचारी डाकघर नियमावली (आचरण एवंसेवा) 1964 के नियम 8के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जांचकरनेकाप्रस्ताव है। दुराचरण एवं दुर्व्यवहार के लांछनों का विवरण जिसके आधार पर जांचप्रस्तावित है, उसका सार उपबन्ध । में उपवर्णित है। आरोप के प्रत्येकअनुच्छेद के समर्थन में अवचार या कदाचार के लांछनों का विवरण उपलब्ध ।। संलग्नहै। दस्तावेजों कीसूची तथा उन साक्षियों की सूची जिसके द्वारा आरोप के अनुच्छेदों का समर्थित करना प्रस्तावित हैउपबन्ध ।।। एवं 4 के आधारपर संलग्न है।

2- श्री विश्वनाथसिंह शा० डा० कोनिर्देशित कियाजाताहै कि वह अपनी प्रति प्रतिरक्षाएक एक लिखित कथन इसशाखा की प्राप्ति के दस दिन के भीतर निवेदित करें औरयह भी बताये कि क्यों वे व्यक्तिगत रूप सेउपस्थित होनाचाहते हैं।

3- विश्वनाथसिंह शा०डा० पुट आफ को इत्तला दी जाती हैकियदि वह ऊपर पैरा 2 में विनिर्दिष्ट तारीख को याउसके पूर्वप्रतिरक्षा की अपना लिखित कथन विवेदित नहीं करते हैं याजांच अधिकारी केसामने स्वयंउपस्थिति नहीं होतेहैं तो जांच अधिकारी एकपक्षीय कार्यवाही करेगें।

4- श्री विश्वनाथसिंह शा०डा० पुट आफ कोइत्तला दी जाती है कि जांच आरोप के केवल उन्हीं अनुच्छेदों के बारे में जो जायेगी जोस्वीकार नहीं किये गये हैं इसलिए उन्हें चाहिए कि वह आरोप केप्रत्येक अनुच्छेद को विनिर्दिष्ट रूप से

विश्वनाथसिंह

या तोस्वीकार करें या उसका प्रति ~~अग्र~~ आख्यानकरें ।

5- श्री विश्वनाथ सिंह शा0डा0 पुट आफ का ध्यान अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी सेवा एवं आरण नियमावली 1964 की ओरआकर्षितकिया जाताहै कि वेअपने वरिष्ठ अधिकारियों परकिसी प्रकारकी राजैनतिया या बाहरी बचाव अपने बचाव में नहीं डालना चाहिए । यदि वे बावजूद कर ऐसा करते हैं तो यह समझा जायेगा कि श्री विश्वनाथसिंह शा0डा0 पुट आफ उक्त नियमावली का उल्लंघन करते हुए सम्बन्धित आरोपों के साथ साथ दुराचारण~~दुर्व्यवहार~~ दुव्यवहारएवं अनिष्ठा के परिचालक हैं और उनके विरूद्ध उपरोक्तनियमों के अतिक्रमण के लिए कार्यवाही की जायेगी ।

6- इस ज्ञापन की प्राप्ति अभिस्वीकृति की जाय।

अधीक्षक डाकघर
खीरी खण्ड खीरी।

सेवा में,

श्री विश्वनाथ सिंह
शाखा डाकपाल (पुट आफ इयती)
अम्बारा - (भीरा)
खीरी।

(सत्य प्रतिलिपि)

विश्वनाथ सिंह

True Copy
attested
Ahmad

A52 96

बिफोर दी सेन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिबुनल एट इलाहाबाद

सर्किट बैंक लखनऊ

विश्वनाथ सिंह ... ... पिटीशनर

बनाम

यूनियनआफ इण्डिया ... ... रेस्पान्डेंट

एनेक्जर नम्बर-ए 12

अनुबन्ध-I

श्री विश्वनाथ सिंह, शाखा डाकपाल अम्बारा (पुट आफ ड्यूटी) के विरुद्ध विरचित आरोप के अनुच्छेदों का विवरण।

अनुच्छेद-I

यह कि उक्त श्री विश्वनाथ सिंह ने अगस्त 72 सेअप्रैल 82 तक शाखा डाकपाल अम्बारा के पद पर कार्यकरते हुए ब0बै0/टीडी खातों से फर्जी निकासियां कर तथा ब0बै/टीडी पासबुकों में जमाके इन्द्राज कर सरकारी अभिलेखों में प्रदर्शित न कर स्वयं के निजी प्रयोग मे लेकर शाखा डाकघर नियमावली केनियम 131, 133, 134 व 141 के प्राविधानों का पालन नहीं किया तथासत्य निष्ठा एवं कर्तव्य परायणता बनाये नहीं रखी। ऐसा कर उन्होने डाक तार अतिरिक्त विभागीय एजेन्ट (सेवा एवं आचरण) नियमावली 1964 के नियम 17 का उल्लंघन किया।

अनुबन्ध-II

श्री विश्वनाथ सिंह शाखा डाकपाल अम्बारा के विरुद्ध विरचित आरोप के अनुच्छेदों केसमर्थन में अवचार व कदाचार के लांछनों का विवरण।

1- श्री विश्वनाथ सिंह शाखा डाकपाल अम्बाराके पद परमाह अगस्त 72 से अप्रैल 82 तक कार्यकरते हुए श्री मूलचन्द्र पुत्र श्री भूखन लाल ग्राम व पोस्ट अम्बारा से दिनांक 20-9-79 को ब0बै0 खाता संख्या 2705784 कीपासबुक ब्याज हेतु प्राप्त की औरपासबुक की रसीद एक सादे कागज पर दे दी जिसमें अवशेष रू0 1117-50 दिखाया गया। इस पासबुक को ब्याज के लिए लेखा कार्यालय नहीं भेजा

विश्वनाथ सिंह

और नियम 141 का उल्लंघन किया । दिनांक 16-10-80 को उक्त खाते से 900/- निकासी की गयी किन्तु रूपया निकालने के आवेदन पर तथा अदायगी अधिपत्र (एनबी-7) पर जमाकर्ता के हस्ताक्षर नहीं करवाये । जमाकर्ता को इसका भुगतान भी नहीं किया गया तथा नियम 134 काउल्लंघन किया।

2- श्री शिव नारायण सिंह पुत्र उदय सिंह ग्राम रामालखना, डा० अम्बारा की ब०बै० खाता संख्या 2701546 से दिनांक 4-3-81 को भीरा डाकघर से 1000/- की निकासी की गयी इसमें उक्त श्री विश्वनाथ सिंह ने भीरा जाकर स्वयं जमाकर्ता की गवाही लिखी जब कि निकासी फार्म पर जमाकर्ता के हस्ताक्षर नहीं थे । इस निकासी के बाद पासबुक में 11-45 शेष जमा, वर्ष 1979-80 काब्याज 95-10 जोड़ने पर अवशेष 106-55 हो गया । दिनांक 11-5-81 कोइसखाते में 100/- की निकासी की गयी और अवशेष 6-55 रहना चाहिए था । जब कि उपरोक्त श्री विश्वनाथ सिंह ने पासबुक में अवशेष 1006-55 लिखा और दिनांक 19-3-83 को 50/- जमा करने के बाद अवशेष 1056-55 लिखा जब कि 56-55 होना चाहिए था ।

3- श्री भगवती प्रसाद पुत्र बाबूराम निवासी अम्बारा की 5 साला टी डी खता संख्या 106062 की पासबुक दिनांक 13-10-81 को ले ली तथा एक सादे कागज पर अवशेष 600/- दिखलाते हुए दी जब कि 9.11 को 100/- निकासी के उपरान्त इस खाते में अवशेष केवल 500/- था। यह पासबुक ब्याज के लिए लेखा कार्यालय नहीं भेजी गयी । इस प्रकार उन्होने इस खाते में 100/- के दुर्विनियोजन से विभाग कोक्षति पहुंचाई है ।

4- श्री मुरलीधर पुत्र श्री काशी राम ग्राम राम लखनाअम्बारा की पासबुक ब०नै० संख्या 2700528 (ए) से दिनांक 17-10-81 को 3300/- की निकासी की गयी । इस निकासी काइन्ट्राज पासबुक में नहीं किया गया।जमाकर्ता ने निकासी के आवेदन पत्र व निकासी अधिपत्र परअपने अगूंठे का निशान होने से भी इंकार किया है । इस प्रकार उन्होने शाखाडाकघर नियमावली केनियम 134 का उल्लंघन किया।

इस तरह शाखा डाकघर नियमावली के नियम131 में दिये गये प्राविधानों का पालन न करके उन्होने डाक तार अति० विभा० प्रजेन्ट सेवा एवंआचरण।

ASY

28

नियमावली 1964 के नियम 17 का उल्लंघन किया ।

अनुबन्ध-III

उन प्रलेखों की सूची जिनके द्वारा श्री विश्वनाथ सिंह शाखा डाकपाल ।पुट आफ इयूटी । अम्बारा के विरूद्ध विरचित आरोप के अनुच्छेदों की पुष्टि करने का प्रस्ताव है ।

-x-

1- ब0बै0 पासबुक खाता संख्या 1705784 की रसीद दिनांक 20-9-79

2- बी0ओ0डैलीकाउन्ट दिनांक 20-9-79

3- अदायगी अधिपत्र दिनांक 16-10-80 रू0 900/-

4- श्री मूल चन्द्र के बयान दिनांक 8-4-87

5- श्री भगवती प्रसाद का बयान दिनांक 27-5-87

6- श्री राज कुमार सिंह काबयान दिनांक 6-11-87

7- ब0बै0 पासबुक खाता संख्या 2701546

8- अदायगी अधिपत्र ब0बै0 खाता संख्या 2701546 दि0 4-3-81 रू0 1000/-

" " " " " 11-5-81 रू0 1000/-

10- बयानश्री शिव नारायणसिंह दि0 7-4-87 व 7-11-87

11- 5 साला टी0डी0 खाता सं0 106062 की रसीद दि0 13-10-81

12- बयान श्री भगवती प्रसाद दि0 19-3-86 ब

13- ब0बै0 पासबुक खाता सं0 2700528 ।ए।

14- अदायगी अधिपत्र खाता सं0 2700528 ।ए। दि0 17-10-81 रू0 3300/=

15- बयान श्री राजकुमार सिंह दिनांक 6-3-86

16- बयान श्री राम बहादुर दिनांक 5-3-86

17- यिान श्री काशीराम दिनांक 19-3-86

अनुबंध-4

उन साक्षियों की सूची जिनके द्वाराश्री विश्वनाथ सिंह शाखा डाकपाल ।पुट आफ इयूटी। अम्बारा के विरूद्ध विरचित आरोप के अनुच्छेदों की पुष्टि करने का प्रस्ताव है :-

ASS

29

1- श्री मूलचन्द्र पुत्रश्री भूखन लाल ग्राम पोस्ट अम्बारा।

2- ,, भगवती प्रसाद पुत्रश्री बृजलाल ग्राम पोस्ट अम्बारा

3- ,, राजकुमार सिंह पुत्रश्री खन्जन सिंह ग्राम पोस्टअम्बारा

4- ,, शिव नारायण सिंह पुत्र श्री उदय सिंह ग्राम रामा लखना अम्बारा

5- ,, भगवती प्रसाद पुत्र श्री बाबूराम निवासी ग्राम पोस्ट अम्बारा

6- ,, काशीराम पुत्र श्री बल्दी राम ग्राम लखना पोस्टअम्बारा

7- ,, राम बहादुर पुत्र श्री बृज लाल ग्राम पोस्ट अम्बारा

8- ,, राजकुमारसिंह पुत्र श्री खन्जन सिंह ग्राम पोस्ट अम्बारा ।

ह0/-

अधीक्षक डाकघर

खीरी मण्डल खीरी-262701

राजकुमार सिंह

True copy attested

Ahmad

856

30

भारतीय डाक विभाग

कार्यालय अधीक्षक डाकघर खीरी मण्डल खीरी-262701

ज्ञापन संख्या एफ-6/82-83

दिनांक खीरी 25-10-88

शुद्धि-पत्र

इस कार्यालय के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 11-10-88 के साथ संलग्न अनुबंध-4 के स्थान पर निम्न को माना जाय।

अनुबन्ध-4

उन साक्षियों की सूची जिनके द्वारा श्री विश्वनाथसिंह शाखाडाकपाल पुट आफ ड्यूटी अम्बारा के विरुद्ध विरचित आरोप के अनुच्छेदों की पुष्टि करनेका प्रस्ताव है।

1- श्री मूल चन्द्र पुत्र श्री भुखन लाल ग्राम पोस्ट अम्बारा
2- ,, भगवती प्रसाद पुत्र श्री बृजलाल ,, ,,
3- ,, श्री राजकुमार सिंह पुत्र श्री संजय सिंह ,,,
4- ,, शिव नरायन सिंह पुत्रश्री उदय सिंह ग्राम रामालखना, पोस्ट अम्बारा
5- श्री भगवती प्रसाद प्रसाद पुत्रश्री बाबूराम निवासी ग्राम पोस्ट अम्बारा
6- श्री काशी राम पुत्र श्री बल्दी राम ग्रामरामालखना पोस्ट अम्बारा
7- श्री राम बहादुर पुत्र श्री बृजलाल ग्राम पोस्ट अम्बारा
8- श्री मनोहर लाल एस0बी0डी0ओ0 खीरी।
9- श्री एस0के0श्रीवास्तव, सहायक अधीक्षक, मुख्यालय खीरी।

ह0/-

अधीक्षक डाकघर
खीरी मण्डल, खीरी -262701

प्रतिलिपि-

पंजीकृत पावती सहित :

श्री विश्वनाथ सिंह, भूतपूर्व शाखाडाकपाल अम्बारा भीरा खीरी।

सत्यप्रतिलिपि

विश्वनाथ सिंह

True Copy attested
Ahmad

A57

31

बिफोर दी ट्रिबुनल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिबुनल एट इलाहाबाद

सिरकिट बैंक लखनऊ

विश्वनाथ सिंह ... ... पिटीशनर

बनाम

यूनियन आफ इण्डिया ... ... रेस्पान्डेंट

एनेक्जर नम्बर-3/

जांच आख्या
==========

शाखा

श्री विश्वनाथ सिंह/डाकपाल अम्बारा के विरूद्ध अति० विभा० एजेन्ट आचरण एवं सेवा नियमावली 1964 केनियम 8 के अन्तर्गत जांच करने के लिए अधीक्षक डाकघर खीरी के ज्ञापन संख्या एफ-6/82-83 दिनांक 30-11=88 द्वारा मुझे जांच अधिकारी एवं आरोपों के समर्थन में मामले को प्रस्तुत करने के लिए श्री फूल चन्द कार्यालय सहायक म०का० खीरी कोप्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त कियागया था । जांच कार्यवाही दिनांक 20-12-88 से प्रारम्भ हुईएवं दिनांक 22-2-89 कोबचाव पक्ष की तरफसे जांच सार प्राप्त हो जाने पर समाप्त हो गयी । इनके अतिरिक्त जांच की विभिन्न कार्यवाहियां दिनांक 11-1-89, 24-1-89, 25-1-89 एवं 9-2-89 ने सम्पन्न हुई । दिनांक 20-12-88 की पहली बैठक में आरोपित अभिकर्ता ने अपने ऊपर लगाये गये आरोपों केबारे में यह कह कर कुछ भी कहनेसे मना कर दिया थी कि वह अपने बचाव सहायक की उपस्थिति में ही कुछ कहेगा । अगली बैठक दिनांक 11-1-89 में उसने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया कि वह अपनी जांच में कोई बचाव सहायक नहीं रखेगा और वह अपने ऊपर लगाये गये आरोपों का अस्वीकार करना है । आरोपित अभिकर्ता के ही लिखित निवेदन पर बिना बचाव सहायक के जांच जारी कर दी गयी । दिनांक 11-1-89 को कागजातों के परीक्षण के बाद आरोपित अभिकर्तासेकहा गया कि यदि वह अपनी बचाव की तरफसेकोई अन्य अभिलेख या गवाह प्रस्तुत करना चाहेतोउनकी सूची प्रस्तुत करें । दिनांक 24-1-89 को उसने लिखित प्रार्थना पत्र देकर बयान बताया कि उसे अपनी तरफ सेकोई कागजात

विश्वनाथ सिंह

अतेक

और गवाह प्रस्तुत नहीं करने है । इसलिए आरोप पत्र के अनुबन्ध -III में उल्लिखित प्रलेखों एवं अनुबन्ध-4 के गवाहों के आधार पर ही जाँच चलायी गयी। आरोप पत्र केअनुबन्ध -III के सभी प्रलेख केमशः प्रदर्शक-1 से क-18 तक जाँच में प्रस्तुत किए गए । अनुबन्ध 4 के गवाहों में से श्री शिव नारायन सिंह पुत्र श्री उदय सिंह निवासी ग्राम रामा लखन डा० अम्बारा (खीरी) का स्वर्गवास हो चुका है । दो अन्य गवाहें श्री मूलचन्द्र पुत्र श्री भूखन लाल निवासी ग्राम व डा अम्बारातथाश्रीभगवती प्रसाद पुत्र श्री बाबूराम निवासी ग्राम व डा० अम्बारा को 25-1-89 एवं 9-2-89 कोबुलाया गया। सम्मन प्राप्त कर लेने के बावजूद भी जब वह नहीं आये तो9-2-89 को उन्हें छोड दिया गया। इस प्रकार शेष सूची बद्ध 6गवाहों की गवाही हुई जिनकाप्रति परीक्षण आरोपित अभिकर्ता ने अपने विवेक सेसमय समय परकिया। जाँच कार्यवाही के अन्त में आरोपित अभिकर्ता नेअपना मौखिक बयान दिनांक9-2-89 को दिया और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने उसकाप्रतिपरीक्षण किया । बाद में प्रस्तुतकर्ता अधिकारीनेअपना जाँच सार दिनांक 14-2-89 प्रस्तुत किया जिसमें उसनेसभी आरोप सिद्धपाये गये दर्शाया इस जाँच सार कीएक प्रति आरोपित अभिकर्ताको दी गयी जिसके अनुसार उसने अपना जाँचसार दिनांक 21-2-89 प्रस्तुत किया जिसमें उसनेअपनेकोदोष मुक्त बताया है ।

श्री विश्वनाथ सिंह आरोपित अपरोपित अभिकर्ता केविरूद्धनिम्नलिखित आरोप लगाये गये हैं :-

1- श्री विश्वनाथ सिंह शाखा डाकपाल अम्बारा के पद पर माह अगस्त 72 सेअप्रैल 82 तक कार्यकरते हुए श्री मूल चन्द्र पुत्र श्री भूखन लाल ग्राम व पोस्ट अम्बारा से दिनांक 20-9-89 को ब0बै0 खाता संख्या 2705784 की पास बुक ब्याज हेतुप्राप्त की और पास बुक की रसीद एक सादे कागज पर दे दी जिसमें अवशेष रू0 1117-50 दिखायागया। इस पास बुक को ब्याज के लिए लेखा कार्यालय नहीं भेजा और शाखा डाकघर नियमावली के नियम 141 का उल्लंघन किया। दिनांक 16-10-80 को उक्त खाते से रू0 900/- रूपया निकासी की गयी परन्तु रूपया निकालने के आवेदन पर तथाअदायगी अधिपत्र (एसबी-7) पर जमाकर्ता

विश्वनाथ सिंह

के हस्ताक्षर नहीं करवाये । जमाकर्ता को इसका भुगतान भी नहीं दिया गया तथा नियम 134 का उल्लंघन किया ।

2- श्री शिव नारायण सिंह पुत्र उदय सिंह ग्राम रामालखना डा० अम्बारा की ब०बै० खाता संख्या 2701546 से दिनांक 4-3-81 को भीरा डाकघर से मु0 1000/- की निकासी की गयी इसमें उक्त श्री विश्वनाथ सिंह नेभीरा जाकरस्वयं जमाकर्ता की गवाही लिखीजब कि निकासी फार्म पर जमाकर्ता के हस्ताक्षर नहीं है।। इस निकासी के बाद पास बुक में रू0 11-45 शेष जमा वर्ष 1979-80 का ब्याज रू0 95-10 जोडनेपर अवशेष मु0 106-55 हो गया दिनांक 11-5-81 को इस खाते में मु0 100/- की निकासी की गयी और अवशेष मु0 6-55 रहना चाहिए था जब कि श्री विश्वनाथसिंह ने पास बुक में अवशेष मु0 1006-55 लिखा और दिनांक 19-3-82 कोमु0 50/- जमा करने के बाद अवशेष मु0 1056-55 लिखा जबकि मु0 56-55 होनाचाहिएथा ।

3- श्री भगवती प्रसाद पुत्र बाबूराम निवासी अम्बारा की 5 साला टी० डी खाता संख्या 106062 की पास बुक दिनांक 13-10-81 कोले ली तथा एक रसीद सादेकागज पर अवशेष मु0 600/- दिखलाते हुए दी जब कि 9-11-78 कोमु0 100/- निकासी के उपरान्त इस खाते में अवशेष केवल मु0 500/- था। यह पास बुक ब्याज के लिए लेखाकार्यालय नहीं भेजी गयी । इस प्रकार श्री विश्व नाथ सिंह ने इस खाते में मु0 100/- के दुर्विनियोजनसे विभाग को क्षति पहुंचाई।

4- श्री मुरलीधर पुत्र श्री काशी राम ग्राम रामालखना पो0अम्बारा की पास बुक ब0बै0सं0 2700528 (ए) से दिनांक 17-10-81 कोमु0 3300/- की निकासी की गयी । इसनिकासी का इन्द्राज पास बुक में नहीं किया गया। जमाकर्ता नेनिकासी के आवेदन पत्र व निकासी अधिपत्र पर अपने अगूंठे कानिशान होने से भी इंकार किया है । इस प्रकार श्री विश्वनाथ सिंह ने शाखा डाकघर नियमावली के नियम 134 का उल्लंघन किया । इस तरह शाखा डाकघर नियमावली के नियम 131 में दिए गए प्राविधानों का पालन नकरके उन्होने डाक तार अति० विभा० एजेन्ट (सेवा एवंआचरण) नियमावली 1964 केनियम 17का उल्लंघन किया ।

जांच के दौरान निम्नलिखित प्रलेख प्रस्तुत किए गये -

विश्वनाथ सिंह

A60

34

1-अदायगी अधिपत्र खाता संख्या 2700528 ॥ए॥ दि017-10-81 मु0 3300/-	प्रदर्श ॥क-1॥
2- श्री काशी राम पुत्र बल्दीराम का लिखित बयान दिनांक 9-3-86	॥क-2॥
3- ब0बै0 पासबुक खाता संख्या 2700528 ॥ए॥	॥क-3॥
4- श्री राज कुमार सिंहपुत्रश्री खजन सिंह का लिखित बयान दि0 ॥ 6-3-86	क॥क-4॥
5- श्री राजकुमार सिंह पुत्र श्री खंजनसिंह का लिखित बयान दि0 6-11-87	॥क-5॥
6- अदायगी अधिपत्र ब0बै0खाता सं0 2705784 दि0 16-10-80 मु0 900/-	॥क-6॥
7- श्री राम बहादुर पुत्र श्री बृजलाल कालिखित बयान दि05-3-86	॥क-7॥
8- श्री भगवती प्रसाद पुत्र श्री बृजलाल का लिखित बयान दि027-5-87	॥क-8॥
9- श्री भगवती प्रसाद पुत्रश्री बाबू राम कालिखित बयान दिनांक 19-3-86	॥क-9॥
10- 15 वर्षीय बी0डी0 खाता संख्या 106062 की रसीद दिनांक 13-10-81	॥क-10॥
11- ब0बै0 पास बुक खाता सं0 2705784 की रसीद दि020-9-79	॥क-11॥
12- अम्बारा बा0आ0 डलीएकाउन्ट दि0 20-9-79	॥क-12॥
13- श्री मूलचन्द्र पुत्रश्री भूषण लाल का बयान दि08-4-87	॥क-13॥
14- श्री शिव नरायन सिंह पुत्र श्री उदय सिंह का लिखित बयान दिनांक 7-4-87	॥क-15॥
15- श्री शिव नरायन सिंह पुत्र श्री उदय सिंह कालिखित बयान दिनांक 7-11-87	॥क-15॥
16- ब0बै0 खाता 2701546 की अदायगी अधिपत्रदि0 4-3-81 मु0 1000/-	॥क-16॥
17- ब0बै0 खाता 2701546 की अदायगी अधिपत्रदिनांक 11-5-81 मु0 100/-	॥क-17॥
18- अन्यबरण ब0बै0 पास बुक खाता संख्या 2701546	॥क-18॥

अभियोजन पक्ष की तरफ से जांच में निम्नलिखित गवाह प्रस्तुत किए गए :-

1- श्री भगवती प्रसाद पुत्रश्री बृजलाल निवासी ग्राम व डा0 अम्बारा जिलाखीरी

2- श्री राम बहादुर पुत्रश्री बृजलाल नि0ग्रा0 व डा0 अम्बारा जिला खीरी।

शिवनारायण सिंह

3-श्री राज कुमार सिंह पुत्र श्री खजन सिंह ग्राम व डा0अम्बारा जि0खीरी।

4- श्री काशी राम पुत्र श्री बल्दी राम ग्राम रामालखना डा0 अम्बारा जि0खीरी

5- श्री एस0के0श्रीवास्तव सहायक अधीक्षक ‡मुख्यालय‡खीरी।

6- श्री मनोहर लाल बचत विकास अधिकारी खीरी।

सूची बद्ध गवाहों में से श्रीमूलचन्द्र पुत्र श्री भूखनलाल तथा री भगवती प्रसाद पुत्र श्री बाूरामदोनों निवासी ग्राम व डा0 अम्बारा जिला खीरी प्रस्तुत कर्ता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किए जासके यद्यपि उन्हें 25-1-89 एवं 9-2-89 को सम्मन भेजकर बुलायागया था। एक अन्य गवाह श्री शिवनरायन सिंह पुत्र श्री उदय सिंह ग्राम रामालखना डा0 अम्बारा जिला खीरी का जांच के दौरान स्वर्गवास हो गया ज्ञात हुआ ।

जांच के दौरान प्रस्तुत किए गए पुलेखों औरगवाहों के बयानों तथा अभियोजन एवं बचाव पक्ष की तरफसे दिए गए जांच सारांशों के आधार पर आरोपित अभिकर्ता के विरूद्ध लगाये गयेआरोपों का विश्लेषण निम्नलिखित प्रकार है-

1- प्रथम आरोप के समर्थन में प्रदर्श क-11 प्रदर्श क-12 प्रदर्श क-13 प्रदर्श क-6 प्रदर्श क-5 और प्रदर्श क-8 प्रस्तत किए बए तथागवाहों मे श्री राजकुमार सिंह पुत्र श्री खंजन सिंह और श्री भगवती प्रसाद पुत्र श्री बृजलाल पेश हुए । मामले के मुख्य गवाह श्री मूलचन्द पुत्र श्री भूखन लाल जांच में नहीं आये । इनके अतिरिक्त श्री मनोहर लाल तत्कालीन डाक निरीक्षक खीरी उत्तर को भी इस आरोप की पुष्टिमें पेश किया गया । श्री मनोहर लाल ने अपने बयान दिनांक 25-1-89 में प्रदर्श क-11, क-12, क-13, क-6, क-5 और क-8 की पुष्टिकी की । उन्होने श्री मूल चन्द्र पुत्र श्री भूखन लाल के पूर्वबयान दिनांक 8-4-87 ‡प्रदर्श क-13‡ की ~~मूलxचन्द्रxपुत्रxश्रीxभूखनxलालxकेxपूर्वxबयान~~ पुष्टि करते हुए बताया कि व0बै0 खाता सं0 2705784 की पास बुक श्री विश्वनाथसिंह ने जमाकर्ता श्री मूलचन्द्र से यह कह कर ले ली थी कि उसे ब्याज लगाने हेतु भेजना है और उसके बादले मैंएक रसीद प्रदर्श क-11 दे दी थी । लेकिन आरोपित अभिकर्ता ने अपने बयान दिनांक 9-2-89 मेंकहा है कि यह रसीद उसके हाथ से नहीं बनायी गयी है। और न ही उसने उस परहस्ताक्षर है । चूंकि पास बुक पर दिनांक 20-9-79 की,

विश्वनाथ सिंह

डाकघर अम्बारा की तारीख मोहर लगी है । और उस दिन श्री विश्वनाथ सिंह ही शाखा डाकपाल अम्बारा के पद परकार्यरत थे । उससे इस बात को अधिक बल मिलता है कि प्रदर्श क-11 उन्हीं द्वारा लिखागया हो । जमाकर्ता श्री मूलचन्द ने अपने बयान दिनांक 8-4-87 (प्रदर्श क-13) में श्री मनोहर लाल जाँच अधिकारी के समक्षयह स्पष्ट बताया था कि रसीद श्री विश्वनाथ सिंह ने दी दी थी । उससे यह रसीद सही साबित होती है । पास बुक प्राप्त कर लेने के बाद उसेब्याज के लिए लेखा कार्यालय को दैनिक लेख पर अंकित करके भेजना था परन्तु दिनांक 20-9-79 कोदैनिक लेखा (प्रदर्श क-12)पर इस पास बुक को लेखा कार्यालय भेजने का कोईउल्लेख नहीं है । जिससेस्पष्टहै कि पास बुक लेखा कार्यालय नहीं भेजीगयी और शाखा डाकघर नियमावली के नियम 141 के प्राविधानों का उल्लंघन करना पुष्टि होता है ।

इसी खता संख्या 2705784 सेदिनांक 22-10-80 को रु0 900/- के निकाले जाने के समर्थन में प्रदर्श क-6, क-5, और क-8 प्रस्तुत किए गए। आरोप पत्र में रूपये निकालने की तिथि 16-10-80 लिखी गयी है । वास्तव में दिनांक 16-10-80 को अदायगी अधिपत्र लेखा कार्यालय भीरा द्वारा स्वीकृति हुआथा लेकिन शाखा डाकघर अम्बारा में भुगतान दिनांक 22-10-80 कोहुआ । इस आरोप के समर्थन में श्री राजकुमारसिंह को गवाह के रूपमेंप्रस्तुत किया गया वह दिनांक 22-10-80 को भुगतान केगवाह है । श्री राजकुमार सिंह ने अपने पूर्व बयान दिनांक 6-11-87 (प्रदर्श क-5) का खण्डन करके बताया कि पूर्वबयान में उन्होने श्री मूलचन्द जमाकर्ता के भय से झूठी बाते लिख दी थी । अपने बयान दिनांक 24-1-89 में श्री राजकुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि श्री विश्वनाथ सिंह ने 22-10-80 को रु0 900/- का भुगतान उसके सामने श्री मूलचन्द्रजमाकर्ता को किया थाऔर जमाकर्ता ने उनके सामने अपना हस्ताक्षर बअदायगी की रसीद पर बनायाथा। श्री मनोहर लाल ने अपनेबयान दिनांक 25-1-89 में बताया कि दिनांक 8-4-87 के बयानों (प्रदर्श क-13) में श्री मूलचन्द जमाकर्ता ने बतायाथा कि प्रदर्श क-6 के दोनों तरफ उसके हस्ताक्षर नहीं है और न ही उसे रु0 900/- श्री विश्वनाथ सिंह ने दिए थे । प्रदर्श

क-6 के प्रार्थना पत्र की ~~xxxxx~~ तरफ श्री भगवती प्रसाद की गवाही है। उन्होंने अपने बयान दिनांक 24-1-89 में यह बताया कि श्री मूलचन्द्र ने यह हस्ताक्षर उसके सामने बनाया था। उसने अपने पूर्वबयान दिनांक 28-5-87 (प्रदर्श क-8) से अलग अटते हुए प्रार्थना पत्र को सही ठहराया है। यद्यपि उसने यह स्वीकार किया है कि दि0 27-5-87 को उसने किसी अधिकारी के ड से बयान नहीं लिखा था। उसने आगे यह भी बताया है कि उसे याद नहीं है कि प्रार्थनापत्र उसकी गवाही लिखने के सामय भरा हुआ था या नहीं। यद्यपि प्रदर्श क-13 एवं श्री मनोहर लाल के बयान दिनांक 25-1-89 से स्पष्ट होता है कि दिनांक 22-10-80 को इस खाते से निकाले गये मु0 900/- श्री मूलचन्द्र को नहीं दिए गए थे और भुगतान पत्र पर उसके हस्ताक्षर भी नहीं लिए गए थे परन्तु श्री भगवती प्रसाद एवं श्री राजकुमार सिंह की गवाही से यह आरोप पूर्ण रूपेण सिद्ध साबित नहीं होता है।

2- आरोप संख्या 2 के समर्थन में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रदर्श क-14, क-15, क-16, क-17 और क-18 प्रस्तुत किए गए। मुख्य जगह श्री शिव नरायन सिंह पुत्र श्री उदय सिंह का निधन हो गया है। उनके पूर्व लिखित बयान दिनांक 7-4-87 एवं 7-11-87 श्री मनोहर लाल तत्कालीन डाक निरीक्षक खीरी उत्तर द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं जो क्रमश: क-14, व क-15 है।
श्री मनोहर लाल ने खुली जाँच में अपने बयान दिनांक 25-1-89 में इन दोनों प्रदर्शों की पुष्टि की और बताया कि श्री ~~शिव~~ शिव नरायन सिंह ने उनके सामने बातया था कि उसने अपने ब0 खा0 संख्या 2701546 से रुपया मु0 1000/ निकालने का प्रार्थना पत्र एवं उसकी अदायगी की रसीद (प्रदर्शांक-16) कभी न नहीं भरी थी इस पर उसके हस्ताक्षर भी नहीं है। प्रदर्श क-16 ले0 का0 भी मैंतैयार करके वही भुगतान हुआ था। इस भुगतान पत्र दिनांक 4-3-81 के दोनों तरफ श्री विश्वनाथ सिंह आरोपित अभिकर्ता के लेखे व हस्ताक्षर से गवाह है जिसे उसने अपने बयान दिनांक 9-2-89 में स्वीकार भी किया है और कहा है कि हो सकता है यह गवाही उसने अपने डाकघर अम्बारा में कर दी होगी। लेकिन आरोपित अभिकर्ता का यह कथन मान्य नहीं हो सकता कि गवाही अम्बार

में की ०७ होगी । क्यों कि हर हालत मूं अदायगी की रसीद लू० का० भीरा में ही भरी जानी थी । अत: यदि फाम पर गवाही लिखना एवं ह ले० का० द्वारा उसे मान लेना सही प्रतीत ०० नहीं होता है । अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत कियागया इसी बचत खाता का भुगतान पत्र मु० 100/- दि० 11-5-81 प्रदर्श क-17 जमाकर्ता श्री [illegible] शिव नरायन सिंह द्वारा स्वीकार किया गया है। जमाकर्ता का बयान दिनांक 7-4-87 प्रदर्श क-14 यह स्पष्ट करना है, कि उसके खाते से केवल मु० 1000/- की निकासी दिनांक 4-3-81 गलत हुई है शेष लेन देन सही है । इस प्रदर्श क-17 पर बने जमाकर्ता के हस्ताक्षर प्रदर्श क-16 परबनेहस्ताक्षरों सेबिलकुल भिन्न है। इसलिए स्पष्ट हैकि प्रदर्श क-16 पर जमा कर्ता केफ़र्जी हस्ताक्षर बनाये गयेहैं औरचूंकि आरोपित अभिकर्ता इनकी गवाही करता है । इस लिए यह नि:संदेह सही है कि इस मु० 1000/-की गलत निकासी को उसने जान बूझकर कराया है । खाता संख्या 2701546 की पास बुक प्रदर्शक-18 में दि० 11-5-81 एवं 19-3-82 के लेन देन को अपने हाथ से लिखा गया एवंहस्ताक्षर किया गया आरोपित अभिकर्ता द्वारा अपनेबयान दिनांक 9-2-89 मे स्वीकारकिया xxxxxxxxxxxxxxxxx हैकेवल इन तिथियों ने लिखा गया वह बकाया सही नहीं मानता है । श्री विश्वनाथ सिंह का कथन है कि उसनेदिनांक 11-5-81 कोबकाया 6-55 एवं 19-3-82 को 56-55 लिखा था जिस जमाकर्ता ने स्वयं ०० अपने द्वारा याकिसी अन्य द्वारा क्रमश: 1006-55 एवं 1056-55 बना लिया होगा । लेकिन जमाकर्ता कास्पष्ट कथनहै कि यह बकाया 1006-55 एवं 1056-55 शाखाडाकपाल ने ही लिखाथा । प्रदर्श क-14 आरोपित अभिकर्ताकायह कथनसही नहीं मानाजा सकता हैकि खाते दार नेअपनेहाथ से बकाया लिखली होगी ।इस मामले में जमाकर्ता का बयान दिनांक 7-4-87 प्रदर्श क-14 अधिक युक्तसंगत जान पडताहै जिसमें उसने बतायाहैकि गौर से देखने पर उसनेअपनी पास बुक में दि० 4-3-81 की निकासी मु० 1000/- की प्रविष्टि का योग देखने परपायागयाकि वे खुरच दिए गए है! मु० 10-01 काभुगतान के बाद की बकायाभिला ही दी गयी है और ब्याज केबाद के योग में एक का अंक इस प्रकार बढाया है कि बकाया एक हजारबढ जाय

xxx

यह कार्यवाही शाखा डाकपाल ने मु0 1000/- की फर्जी निकासी दिनांक 4-3-81 को छुपाने के लिए निश्चयही की है। इस प्रकार यह आरोप पूर्णरूपसेसिद्ध होताहै और उसमें किसी प्रकार की शंका नहीं रह जाती है।

3- आरोप संख्या 3 के समर्थन में प्रदर्श क-10 एवं क-9 प्रस्तुत किए गये 5 वर्षीय टीडी खातासंख्या 106062 के जमाकर्ता श्रीभगती प्रसाद जांचमें उपस्थिति नहीं हुए। श्री मनोहर लाल तत्कालीन डाक निरीक्षक खीरी उत्तर एवं श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव सहा0 अधीक्षक ने हजमाकर्ता के लिखित बयान दिनांक 19-3-86 (प्रदर्श क-9) कीपुष्टि की इनदोनों गवाहों ने अपने बयान दिनांक 25-5-89 मेंकहा है कि श्री भगवती प्रसाद ने दिनांक 19-3-86 को उनके सामने स्वीकार कियाथा कि उसने अपने पासबुक संख्या 106062 में एक बार मुबलिग 600/- जमा किया था इसके बाद उसने अपने खाते में कुछ भी न तो जमा किया और न ही उसमें से कुछ निकाला। एक दिन दिनांक 13-10-81 को श्री विश्व नाथ सिंह ने उसकी पासबुक ले ली ब्याज लगवानेके वास्ते और उसकी रसीद बना कर अपने हस्ताक्षर करके वडाकघर की तारीख मोहर से छाप कर दे दी थी इसमें बकाया मु0 600/- लिखागयाहै। इसी खाते से दिनांक 9-11-78 कोमु0 1000- की निकासी होचुकी थी। जिसे अरोपित कर्मचारी ने अपना बयान दिनांक 9-2-89 में स्वीकारभी किया है। इस निकासीके बाद निश्चय ही मु0 100/- सेबकाया कम होजानी चाहिए थी। अर्थात रसीद मु0 500/- की दी जानी चाहिएथी। चूंकि जमाकर्ता का कथनहैकि उसनेकोईरूपया इस खाते से नहीं निकाला है इसलिए निकाले गये मु0 100/- का दि0 9-11-78 को दुर्विनियोजन ही कहा जायगा। लेकिनयदि इस 100/-के भुगतान पत्र को भीप्रस्तुत किया गयाहोतातोसही वस्तुस्थिति से स्पष्ट प्रकट हुई होती। अभियोजित अभिकर्ता का यह कथनसही नहीं प्रतीत होता है कि दिनांक 13-10-81 की यह रसीद (प्रदर्श क-10) उसके द्वारानहीं दी गयी थी। इस पर लगी डाकघर की ~~तारीख~~ तारीख मोहरएवं जमाकर्ता का बयान दिनांक 19-3-86 (प्रदर्श क-9) जिसे दो गवाहों नेपुष्टकियाहै से यह निर्विवाद सिद्ध होताहैकि खाता संख्या 106062 कोपास बुक अभियोजित कर्मचारी ने ली थी जिसमें मु0 600/- जमाथे। गवाहों एवं प्रलेखों से यहस्पष्टहोताहै किखाता संख्या 106062 कीपास बुक जमाकर्ता

की पास बुक जमाकर्ता श्री भगवती प्रसादसेअभियोजित अभिकर्ता ने लीथी यह आरोप तोसिद्ध होताहै कि लेकिन उसे ले०का० न भेजने और मु० 100/- का इस खाते से दुर्विनियोजन सिद्ध नहीं होता है । क्यों कि न तो उसके लिए कोई प्रलेख और ना ही कोईगवाह प्रस्तुत किए गए हैं ।

4- आरोप संख्या 4 के समर्थन में अभियोजन पक्ष की तरफसेप्रदर्श क-1, क-2 क-3 क-4 प्रस्तुत किए गएतथाश्री काशी राम राजकुमार सिंह, राम बहादुर, मनोहर लाल एवंश्री एस०के० श्रीवास्तव गवाह के रूप में प्रस्तुत हुए । खाता संख्या 2700528-ए नाबालिग खातेदार श्री मुरलीधर केनाम से चल रहा था जिसमें लेन देन उसके पिता श्रीकाशीराम करते थे । श्री काशीराम ने दिनांक 24-1-89 के बयान मेंअपने पूर्व बयान दिनांक 19-3-86 ﴾प्रदर्श क-2﴿ की पुष्टिकी और बताया कि उनके इसखाते का दिनांक 19-10-81 का भुगतान पत्र मु० 3300/- उनका भरवाया हुआ नहीं हैऔर इसप्रदर्श क-1 पर उनके निशानी अगूठे नहीं लगे हैं । उन्होने आगे यह भी बताया कि इस मु० 3300/- काभुगतान उन्हें नहींप्राप्त हुआ है । श्री काशीराम नेअपने बयान के समय अपनी इस खाते की पास बुक देखी और बतायाकि यह वही पास बुक है जो उसनेप्रारम्भिक जांच के समय डाक अधिकारियों को दी थी । इस पास बुक ﴾प्रदर्शक-3﴿ में दिनांक 19-10-89 की मु० 3300/- की यह निकासी दर्ज नहीं है । श्री राजकुमार सिंह पुत्र श्री खन्जन सिंह नेअपनेबयान दिनांक 6-3-86 ﴾प्रदर्श क-4﴿ में श्री मनोहर लाल एवंश्रीएस०के०श्रीवास्तव के सामने स्वीकार किया था कि यद्यपि उसकी गवाही भुगतान पत्रपर है परन्तु न तोउसके सामने रुपिये दिए गए थे और न ही काशीराम नेउसके सामने निशानी अगूंठा लगाया । इसी प्रकार इस प्रदर्श क-1 के प्रार्थना पत्र की तरफ के गवाह श्री राम बहादुर पुत्र श्री बृजलाल नेअपने श्री एस०के० श्रीवास्तव के समक्ष बताया था कि नतोउसकी गवाही है और नही काशीराम नेउसके सामने इस पर अपना नि०अ० लगाया था । लेकिन दिनांक 24-1-89 को अपनेबयानों मे इन दोनों नेबताया कि प्रदर्श क-1 परउनकी गवाहियां है एवं काशीराम नेउनकेसामने निशानी अगूंठा लगायाथा । श्री राजकुमार

केदारनाथ सिंह

सिंह नेतोयहाँ तक कहडाला कि रु0 3300/- का भुगतान उसके सामने ही श्री काशी राम नेप्राप्त किया था। इस मामले में जमाकर्ता अब श्री यही कहताहै कि उसका निशानी अगूंठा नहीं हैऔर उसे रु0 3300/- नहीं मिले हैं । चूंकि प्रदर्श क- के गवाही के बयान दिनांक 6-3-86 एवं 5-3-86 दो अन्यगवाहों द्वारापुष्ट किए गए हैं अत: इनके बयान दिनांक 24-1-89 संदेहास्पद प्रतीत होते हैं । चूंकि जमाकर्ता औरप्रारम्भिक जांच करने वाले अधिकारी यही कहते हैं कि श्री काशी राम नेनिशानी अगूंठानहीं लगायाऔर रु0 3300/- का भुगतान नहीं प्राप्त कियासाथही सम्बन्धित पास बुक में इसनिकासी काइन्दराज भी नहीं है इसलिए यह सिद्धि हाताहैकिश्री काशीराम नेप्रदर्श क-1 परनिशानी अगूंठा नहीं लगायाथाऔर उसे रु0 3300/- नहीं मिले इसप्रकारआरोपित अभिकर्ता द्वारा शाखाडाकघर नियमावली के नियम 134 काउल्लंघन सिद्ध होता है । इस मामले में शाखा डाकघर नियमावली केनियम 131 केउल्लंघन का मामला नहीं बनता है ।

उपरोक्त सिद्धि दोषों से यह निर्विवाद सत्य है कि आरोपित अभिकर्ता अपने कार्यकाल के दौरान पूर्णसत्यनिष्ठा एवं कर्तव्य निष्ठा नहीं बनाये रखने में असमर्थ रहाहै और अति0 विभा0एजेन्ट (आचरण एवंसेवा) नियमावली 1964 के नियम 17 का उसने स्पष्ट उल्लंघन किया है ।

आरोपितअभिकर्ता नेअपने जांच साराँश दिनांक 21-2-89 मेंसभी आरोपों कोसिद्धन होनालिखाहै लेकिन उसने कही भी तर्क पूर्ण तथ्यों सेअपनेकथन की कोईपुष्टि नहीं की है।

जांच आख्याअनुशासनिक अधिकारी कोआवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जारही है ।

ह0/-
उप मण्डलीय निरीक्षक (डाकघर)
गोला गोकरन नाथ
गोलागोकरननाथ खीरी -

गोला दि0 25-2-89

(सत्यप्रतिलिपि)

True Copy attested
Ahmad

A68

42

बिफोर दी ट्रिब्युनल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल एट इलाहाबाद

सर्किट बैंच लखनऊ ।

विश्वनाथ सिंह ... ... पिटीशनर

बनाम

यूनियनआफ इण्डिया ... ... रेस्पान्डेंट

एनेक्जर नम्बर- VI

अपील

सेवा में,

श्रीमान् डाक निदेशक महोदय,
डाक सेवायें
क्षेत्र लखनऊ-7

विषय: अधीक्षक डाकघर मण्डल खीरी के द्वारा 28-2-89 को निर्णय के विरूद्ध

1- ज्ञापन संख्या आई0ओ0/बी0एन0 सिंह 88-89 जांच आख्या उप मण्डलीय जांच निरीक्षक डाकघर श्री ए0के0 दीक्षित गोला गोकरन नाथ उप मंडल खीरी 262802

2- कार्यालय अधीक्षक डाकघर खीरी मण्डल खीरी 262701 ज्ञापन संख्या एप-6/82-83 निर्णय दिनांकित खीरी 28-2-89

महोदय,

प्रार्थी के उपर लगाये गये आरोपों तथा रूल-14 विभागीय जांच में मेरे विरूद्ध अधीक्षक डाकघर खीरी मण्डल खीरी द्वारा दिनांक 28-2-89 को दिये गये निर्णय के सम्बन्ध में मेरा कथन इस प्रकार है :-

आरोप नं0।- मेरे उपर आरोप लगाने वाले खातेदार खाता संख्या-एस0बी0-2705784 श्री मूलचंद पुत्र श्री भखनलाल वि0प्रो0 अम्बारा खीरी को जांच अधिकारी द्वारा दोबार सम्मन भेजे जाने पर भी खातेदार विभागीय चल रही जांच में जांच अधिकारी के समक्ष पेश नहीं हुआ तथा अदायगी अधिपत्र ।एस0बी0-7। के गवाह प्रस्तुत हुए ।एस0बी0। पर गवाहों की गवाही के अनुसार प्रार्थी पर

कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है । जाँच अधिकारी ने अपनी जाँचआख्यामें लिखा है किदोबार सम्मन भेजने पर भी खातेदार उपस्थिति नहीं हुआ है जब कि विभाग के द्वारा इसकी पुष्टि को गयी है कि जाँच अधिकारी द्वारा भेजे गये दोनों सम्मन आरोप लगानेवाले खातेदारों को प्राप्त हो चुके हैं ।

आरोप नं0 2- श्री शिव नारायण सिंह पुत्र श्रीउदय सिंह नि0ग्राम रामा लक्षना पो0 अम्बारा खीरी ॥एस0बी0॥ खाता संख्या ॥2701546॥ है जो कि मेरे विरूद्ध आरोप लगानेवाले खातेदार है यह भी जाँच अधिकारी के समक्ष विभागीय जाँच में दिनांक 25-1-89 को बयान देने के लिए सम्मन पाने परभी उपस्थिति नहीं हुए तथा एक सम्मन इनको 9-2-89 को बयान देने के लिए भेजा गया । जब कि इनकी मृत्यु हो चुकी थी । ऐसा जाँच अधिकारी नेअपनी जाँच आख्या में लिखा है ।

आरोप नं0 3- खाता सं0 टी0डी0 5 साला 106062 के खातेदार ने जो आरोप प्रार्थी पर लगाया है यह खातेदार श्री भगवती प्रसाद पुत्र बाबूराम नि0पो0 अम्बारा खीरी के है जाँच अधिकारी ने दो बारसम्मन भेज कर विभागीय जाँच में बयान देनेहु हेतु बुलाया । सम्मन प्राप्त होने की पुष्टि जाँच अधिकारी ने अपनी जाँचआख्यामें लिखा है । लेकिन फिर भी खातेदार जाँच अधिकारी के समक्ष उपस्थिति नहीं हुआ । अदायगी अधिपत्र ॥एस0बी0-7॥ पर गवाहों के द्वारा जाँच अधिकारी के समक्षलिखित बयान देने के अनुसार प्रार्थी पर लगाया गया आरोप सिद्ध नहीं होता है । जैसा कि डाक अधीक्षिक खीरी मण्डल खीरी ने अपनेनिर्णय मेंप्रार्थी कोनिर्दोष करार देते हुए आरोप का सिद्ध नहोना लिखा है ।

आरोप नं0 4- खाता संख्या ॥2700528 ए॥ श्री काशीराम संचालन खातेदार निवासी ग्राम रामालक्षना पो0 अम्बारा जिला खीरी ने जो कि जाँच अधिकारी महोदय के मेरे समक्ष मेरे ऊपर गलत आरोप लगाने वाले बयान दिये हैं । वह बिलकुल झूठ एवंनिराधारहै अदायगी अधिपत्र एस0बी0-7 परके गवाहों के बयान जो कि जाँच अधिकारी के सामने दिया है उन बयानों से प्रार्थी के ऊपर किसी प्रकार का आरोप सिद्ध नहीं होता है । औरएस0बी0-7 पर का एक गवाह राकेश सिंह के गवाही की पूर्ति नहीं की गयी है । जैसा कि जाँच अधिकारी महोदय

44

महोदय ने अपनी जांच आख्यामें लिखा है कि शाखाडाकघर नियमावली 13 के उल्लंघन का मामला ही नहीं बनता है।

धारा 1- यह कि डाक अधीक्षक खीरी मण्डल नेप्रार्थी के साक्ष्य पर कोई ध्यान नदेकर एक पक्षीय निर्णय दिया है जो मानने योग्य नहीं है ।

धारा 2- यह कि उपरोक्त मामले में साक्ष्योंके अवलोकन से प्रार्थी पर कोई अपराध नहीं बनताहै ।

धारा 3- प्रार्थीके विरूद्ध उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है और जो भी साक्षी पेश किये गये हैं उन्होने अपनेबयानों में ऐसी कोई बात नहीं कही हैजिससे प्रार्थीकोदोषी मानलियाजाय।

धारा 4- यह कि श्री मनोहर लाल डाक निरीक्षक व श्री एस0के0श्रीवास्तव सहायक डाक अधीक्षक मण्डल कार्यालय खीरी ने अपने बयानों से जो जांच अधिकारी के समक्ष आरोपों की पुष्टि की है वह एक पक्षीय तथाअन्याय पूर्ण है ।

धारा 5- यह कि विद्वान प्रस्तुत कर्ता अधिकारी श्री फूलचन्द्र का अपने जांच सार में निर्णय त्रुटि पूर्ण व कानूनी परम्पराओं के विपरीत है । प्रार्थी के साक्ष्य परकोई ध्यान न देकर एक पक्षीय निर्णय कियाहै जो मानने योग्य नहीं है ।

अत: श्रीमानूजी से निवेदनहै किप्रार्थी की अपील श्रीमानूजी की सेवा मे प्रस्तुत है । मेरे विरूद्ध पारित आदेश तारीख 28-2-89 के निर्णय के सम्बन्ध मेंपुन: विचार कर अपने स्तर सेउचित निर्णय देने की कृपा करें । प्रार्थी को आरोप नं0 1, 2, 3 तथा 4 का श्री दयारामडाक अधीक्षक खीरी मण्डल खीरी द्वारा दिया गया मेरे विरूद्ध निर्णय कानूनन गलत व अन्यायपूर्ण है । तथा मुझे स्वीकार नहींहै जो कि विभागीय निर्णयएक पक्षीय हैऔर निरस्त होने योग्य है ।

प्रार्थी,

ह0/-
(विश्वनाथ सिंह)
शाखा डाक पाल पुटआफ ड्यूटी
अमदारा, खीरी
262901

प्रतिलिपि :
1- डाक निदेशक, डाक सेवायें लखनऊ -7
2- डाक अधीक्षक, मण्डल खीरी।

दिनांक 15-5-89

विश्वनाथ सिंह

True copy attested
Ahmad

A71

45

बिफोर दी सेन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिबुनल एट इलाहाबाद

~~लखनऊ~~ बैं

सर्किट बैंच लखनऊ।

विश्वनाथ सिंह ... . पिटीशानर

बनाम

यूनियन आफ इण्डिया ... ... रेस्पान्डैंट

एनेक्जर नम्बर-VII

अभिलेख में शुद्धि प्रार्थना पत्र

सेवा में,

श्रीमान् डाक निदेशक महोदय डाकसेवायें क्षेत्र लखनऊ-7

विषय: अधीक्षक डाकघर मण्डल खीरी के द्वारा 28-2-89 के निर्णय के विरूद्ध अपील दिनांक 15-5-89

1- ज्ञापन संख्या आईओ/वीएनसिंह 88-89 जाँच आख्या उप मण्डलीय जाँच निरीक्षक डाक घर श्री ए0के0दीक्षित गोला गोकरन नाथ उप मंडल खीरी-262802

3- कार्यालय अधीक्षक डाक घर खीरी मंडल खीरी 262701 ज्ञापन संख्या एफ-6/82-83 निर्णय दिनांकित खीरी 28-2-89

शुद्धि पत्र

महोदय,

प्रार्थी का निवेदनइस प्रकार है कि मेरे द्वारा आपको दिनांक 15-5-89 को विभागीय की गयी अपील में मेरा कथनइस प्रकार है -

15 यह है कि पेज नं0 1 -2 परआरोप नं0 3 टी0डी0 5 साल खाता संख्या 2106062 में जहाँपर जैसाकि डाक अधीक्षक खीरी मंडल खीरी ने अपनेनिर्णय में प्रार्थीको निर्दोषकरारदेते हुए आरोप का सिद्ध न होना लिखा है। इसे यहाँ पर पहनपढकर वहाँ परजाँच अधिकारी के द्वारा जाँच आख्या में मु0 100/-का इस खाते में दुर्विनियोजनसिद्ध नहीं होता है। क्यों कि न तोउसके लिए कोई प्रलेखओर न ही कोई गवाह प्रस्तुत किये गये है। मेरी अपील में यहाँ परयह पढा जाय।

विश्वनाथ सिंह

46

2- यह है कि मेरी अपील में पेज नं0 2 पर सबसे नीचे निवेदनमें जहाँ पर आरोप नं0 1 -2 तथा 4 लिखा हैइसे यहाँ पर यह न पढ कर वहाँ पर आरोप नं0 1, 2, 3 तथा 4 यहाँ पर यह पढा जाय।

अतः श्रीमान् जी की सेवा में अपील का शुद्धि प्रार्थना पत्र प्रेषित है।

प्रार्थी- विश्वनाथ सिंह शाखाडाकपाल ॥पुट आफ ॥डियूटी॥

अम्बारा- खीरी

26290

प्रतिलिपि -

1- डाक निदेशक, डाक सेवायें क्षेत्र लखनऊ -7

2- अधीक्षक डाकघर मण्डल खीरी दिनांक 25-7-89

॥सत्य प्रतिलिपि ॥

विश्वनाथ सिंह

True Copy attested